सत्यमेव जयते

भारतीय संसद
राज्य सभा

राज्य सभा के सदस्यों के लिए सामान्य जानकारी
2026

भारत की संसद

राज्य सभा सचिवालय
नई दिल्ली

(वेबसाइट- http://sansad.in/rs)

प्रस्तावना

इस पुस्तिका का उद्देश्य राज्य सभा के सदस्यों, विशेष तौर पर नव-निर्वाचित सदस्यों को, सामान्य जानकारी मुहैया कराना है। इस पुस्तिका में संविधान के तथा संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 के संगत उपबंध और उसके अधीन बनाए गए नियम तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अधीन बनाए गए राज्य सभा (आस्तियों और देयताओं की घोषणा) नियम, 2004 तथा राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियमों के नियम 293 के अंतर्गत आर्थिक हितों की घोषणा अंतर्विष्ट है।

2. इस पुस्तिका में उपर्युक्त दस्तावेजों के संबंध में संक्षिप्त सूचना अंतर्विष्ट है। सदस्य विस्तृत जानकारी के लिए ऊपर उल्लिखित मूल दस्तावेजों का भी अवलोकन कर सकते हैं।

नई दिल्ली ;
11 **मार्च**, 2026

पी.सी. मोदी,
महासचिव।

विषय-सूची

		पृष्ठ
1.	पदावधि	1
2.	आरंभिक औपचारिकताएं	1
3.	सूचना कार्यालय	1
4.	केंद्रीकृत पास निर्गम प्रकोष्ठ (सीपीआईसी)	2
5.	निर्वाचन प्रमाण-पत्र और प्रपत्र-III का सौंपा जाना	2
6.	ससंद भवन/संविधान सदन/संसदीय सौध/संसदीय सौध विस्तार भवन के महत्वपूर्ण स्थान	3-5
7.	सदस्यों द्वारा आस्तियों और देयताओं की घोषणा	5-6
8.	राज्य सभा के सदस्यों द्वारा हितों की घोषणा	6-7
9.	सदस्यों की परिलब्धियां और सुविधाएं	7-16
10.	रेल आरक्षण	16
11.	संसद सदस्यों तथा उनके पति/उनकी पत्नी को राजनयिक पारपत्र जारी किया जाना	16
12.	संसद सदस्यों अथवा उनकी पत्नी/उनके पति द्वारा राजनयिक पारपत्रों का उपयोग	16-17
13.	सदस्यों/उनकी पत्नी/उनके पति की निजी विदेश यात्रा के लिए वीज़ा नोट जारी किया जाना	17
14.	विदेश यात्रा करने वाले सदस्य	17-18
15.	संसद सदस्यों द्वारा विदेशी आतिथ्य स्वीकार किया जाना	18-19
16.	विदेश मंत्रालय से राजनैतिक स्वीकृति	19
17.	भारतीय संसदीय समूह की सदस्यता	19
18.	संसद सदस्यों द्वारा गैर-आधिकारिक विदेशी यात्राएं	19-20
19.	प्रकाशनों की आपूर्ति	20
20.	विविध सुविधाएं	20-30

1. **पदावधि**

राज्य सभा के लिए निर्वाचित/नाम-निर्देशित सदस्य की पदावधि छह वर्ष है। तथापि, आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित/नाम-निर्देशित सदस्य अपने पूर्ववर्ती सदस्य की शेष पदावधि के लिए अपना पद धारण करता है। सदस्य की पदावधिः-

(i) नियमित रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित/नाम-निर्देशित सदस्य के मामले में उस तिथि से आरंभ होती है, जिस तिथि को विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) द्वारा उसका नाम राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है।

(ii) आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित/नाम-निर्देशित सदस्य के मामले में उस तिथि से आरंभ होती है, जिस तिथि को उसके निर्वाचन की घोषणा अथवा उसके नाम-निर्देशन की अधिसूचना को, जैसी भी स्थिति हो, राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है।

2. **आरंभिक औपचारिकताएं**

2.1 राज्य सभा के लिए निर्वाचित/नाम-निर्देशित होने के बाद, नव-निर्वाचित/नाम-निर्देशित सदस्य को पहले सूचना कार्यालय (**कम.रा सं. जी**-16, **संसद भवन**, **दूरभाष**: 23083082, 23083083) से सम्पर्क करना अथवा वहां आना होता है जहां उन्हें कतिपय औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए कुछ प्रपत्र भरने होते हैं। इन प्रपत्रों को राज्य सभा की वेबसाइट *(sansad.in/rs)* से भी 'अधिक'-'डाउनलोड'-'संसदीय सूचना प्रपत्र', 'आवेदन पत्र', और 'नए सदस्यों के लिए प्रपत्र' लिंक के अधीन डाउनलोड किया जा सकता है। **विशिष्ट आगंतुक दीर्घा/दर्शक दीर्घा से अपने परिवार के सदस्यों**, **रिश्तेदारों और अतिथियों को अपने शपथ ग्रहण समारोह को देखने की अनुमति देने के लिए सदस्यों से प्राप्त अनुरोधों को पास जारी करने के लिए सीपीआईसी**, **राज्य सभा को भेज दिया जाता है।**

2.2 नए सदस्य **अस्थायी पहचान पत्र/स्मार्ट पहचान पत्र-सह-रेलवे पास** प्राप्त करने के लिए अपना निर्वाचन प्रमाण पत्र या उन्हें सदस्य के रूप में नाम-निर्देशित करने वाली अधिसूचना की प्रमाणित प्रति, जैसा भी मामला हो, प्रस्तुत कर केंद्रीकृत पास निर्गम प्रकोष्ठ (टेलीफोन-23035176; 23012197) से संपर्क कर सकते हैं। प्रपत्र को राज्य सभा की वेबसाइट *(sansad.in/rs)* से 'अधिक'-'डाउनलोड'-'नए सदस्यों के लिए प्रपत्र' लिंक के अधीन डाउनलोड किया जा सकता है।

3. **सूचना कार्यालय**

3.1 सूचना कार्यालय राज्य सभा के सदस्यों और राज्य सभा सचिवालय के बीच सम्पर्क माध्यम का काम करता है। यह सदस्यों के लिए स्वागत कार्यालय के रूप में और सदस्यों, राज्य सभा सचिवालय के विभिन्न अनुभागों/शाखाओं, अन्य सम्बद्ध एजेन्सियों और भारत सरकार के मंत्रालय/विभागों के बीच एक एकल खिड़की सम्पर्क-स्थल के रूप में भी कार्य करता है।

3.2 इस कार्यालय का मुख्य कार्य सदस्यों से सूचनाएं प्राप्त करना है। 12 जून, 2024 को संसदीय समाचार भाग-2 में पैरा 64263 के माध्यम से जारी माननीय सभापति के निर्देश के अनुसरण में, विभिन्न संसदीय युक्तियों के संबंध में भौतिक सूचनाएं प्रस्तुत करना बंद कर दिया गया है और सदस्यों से अपेक्षित है कि वे सभी प्रकार की सूचनाएं "डिजिटल संसद पोर्टल" के माध्यम से प्रस्तुत करें। इसके अलावा, सूचना कार्यालय द्वारा विविध पत्र/प्रपत्र, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते से संबंधित बिल, भारत सरकार के मंत्रियों को संबोधित पत्र और साथ ही सचिवालय में निपटान के लिए आशयित सदस्यों से अन्य पत्रादि भी प्राप्त किए जाते हैं और उन्हें संबंधित अनुभागों को भेजा जाता है। संसदीय कार्य के संबंध में सदस्यों द्वारा की

जाने वाली पूछताछ भी सूचना कार्यालय द्वारा देखी जाती है। सदस्यों के अनन्य उपयोग के लिए सूचना कार्यालय में इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ दो ऑल-इन-वन डेस्कटॉप कंप्यूटर भी स्थापित किए गए हैं।

4. **केंद्रीकृत पास निर्गम प्रकोष्ठ (सीपीआईसी)**

यह कार्यालय सदस्यों और उनकी पत्नी/पति, पूर्व सदस्यों को स्मार्ट पहचान पत्र; और पूर्व सदस्यों की पत्नी/पति को पहचान पत्र, दर्शक दीर्घा पास, विशिष्ट आगंतुक दीर्घा पास, केंद्रीय कक्ष पास, सदस्यों के वैयक्तिक सहायकों/निजी सचिवों और ड्राइवरों को स्मार्ट कार्ड/बार-कोड युक्त पास, सदस्यों और पूर्व सदस्यों को आरएफआईडी पार्किंग लेबल, वाहन आरएफ टैग जारी करने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करता है और उन पर कार्रवाई करता है। ये प्रपत्र सीपीआईसी/सूचना कार्यालय में भौतिक रूप में और राज्यसभा की वेबसाइट (sansad.nic/rs) पर 'अधिक'- डाउनलोड- ''आवेदन पत्र''-सीपीआईसी-पीएसएस 'या' 'अधिक'-'डाउनलोड'-'नए सदस्यों के लिए प्रपत्र' लिंक के अधीन मुद्रण योग्य प्रारूप में भी उपलब्ध हैं।

5. **निर्वाचन प्रमाण-पत्र और प्रपत्र-III का सौंपा जाना**

5.1 सदस्य (निर्वाचित/नाम निर्देशित)को संविधानके अनुच्छेद99 के अधीन शपथ लेने अथवा प्रतिज्ञान करने और उस पर हस्ताक्षर करने तथा राज्य सभा में अपना स्थान ग्रहण करने से पहले महासचिव के समक्ष अपने निर्वाचन प्रमाणपत्र अथवा उसे एक सदस्य के रूप में नामनिर्देशित करने वाली अधिसूचना की एक प्रमाणित प्रति, जो भी स्थिति हो, प्रस्तुत करेंगे/करेंगी और साथ ही प्रपत्र-III में उनके/उनकी दलगत सम्बद्धता के संबंध में ब्यौरों और घोषणा का एक विवरण प्रस्तुत करेंगे/करेंगी जैसा कि राज्य सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1985 के नियम 4 (2) में विहित किया गया है। ऊपर बताए गए निर्वाचन प्रमाणपत्र/नाम-निर्देशन से संबंधित अधिसूचना की प्रमाणित प्रति और प्रपत्र-III पटल कार्यालय (कमरा सं. जी-15, भूतल, संसद भवन, दूरभाष सं. 23083098 और 23083099) में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।। प्रपत्र-III को राज्य सभा की वेबसाइट (sansad.in/rs) से 'अधिक'-'डाउनलोड'-'नए सदस्यों के लिए प्रपत्र'-'पटल कार्यालय से संबंधित प्रपत्र'-'प्रारूप-III' लिंक के तहत डाउनलोड किया जा सकता है।

5.2 सदस्य संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा अथवा अंग्रेजी में शपथ ले सकते/सकती हैं अथवा प्रतिज्ञान कर सकते/सकती हैं और उस पर हस्ताक्षर कर सकते/सकती हैं। सदस्य शपथ लेने अथवा प्रतिज्ञान करने और उस पर हस्ताक्षर करने हेतु जिस पसंदीदा भाषा के विकल्प का चयन करना चाहते/चाहती हैं उसकी सूचना पटल कार्यालय को प्रदान करें और शपथ/प्रतिज्ञान संबंधी प्रपत्र पटल कार्यालय से प्राप्त करें। निर्वाचित और नाम-निर्देशित सदस्यों के लिए शपथ/प्रतिज्ञान संबंधी प्रपत्र अंग्रेजी और अन्य अनुसूचित भाषाओं में पृथक रूप से उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, सदस्य सभा/समितियों में आसन ग्रहण करने, कार्यवाही में भाग लेने और मतदान करने के तब तक हकदार नहीं होंगे जब तक उन्होंने शपथ लेकर/प्रतिज्ञान करके उस पर हस्ताक्षर न कर दिए हों।

5.3 नव-निर्वाचित/नाम-निर्देशित सदस्य के पास केवल संसदीय पत्रों में अपना नाम उल्लिखित करने संबंधी सीमित प्रयोजनों के लिए अपने नाम की शैली में परिवर्तन करने का विकल्प होता है, बशर्ते नाम की शैली में परिवर्तन करने संबंधी आवेदन के साथ सरकारी प्रतिष्ठानों/विश्वविद्यालय इत्यादि द्वारा जारी किए गए सहायक दस्तावेज संलग्न हों। नाम की शैली में परिवर्तन करने के लिए, सदस्य को इस प्रयोजनार्थ विहित प्रपत्र को भरना होगा जो पटल कार्यालय (पता और दूरभाष ऊपर दिए गए हैं) में उपलब्ध है।

6. **ससंद भवन/संविधान सदन/संसदीय सौध/संसदीय सौध विस्तार भवन के महत्वपूर्ण स्थान**

संसद भवन परिसर में आने वाले नए सदस्य को विभिन्न कक्षों, मार्गों और गलियारों की जानकारी होनी चाहिए और उसे इनसे परिचित होना चाहिए। उसे विशेष रूप से निम्नलिखित स्थानों की जानकारी होनी चाहिएः-

संसद भवन-

राज्य सभा कक्ष

लोक सभा कक्ष

सभापति का कक्ष (कमरा सं. आरएस-09)

उपसभापति का कक्ष (कमरा सं. आरएस-07)

लोकसभाध्यक्ष का कक्ष (कमरा सं.17)

महासचिव, राज्य सभा का कक्ष (कमरा सं. आरएस-08)

महासचिव, लोक सभा का कक्ष (कमरा सं.-18)

सूचना कार्यालय (कमरा सं.जी-16)

सभा पटल पर पत्र रखने संबंधी एकक (कमरा सं.जी-16)

पटल कार्यालय (कमरा सं.जी-15)

विधेयक कार्यालय (कमरा सं.एस-25क)

लॉबी कार्यालय (कमरा सं.एस-25ख)

विधायी अनुभाग (कमरा सं.आरएस-30)

आशुलिपिक पूल (कमरा सं.आरएस-26)

लॉबी के टेलीफोन बूथ
सदस्यों हेतु प्रतीक्षालय } राज्य सभा के सामने लॉबी का विस्तारित हिस्सा

कैन्टीन कक्ष

मंत्रियों के कक्ष

दलों के कार्यालय

समिति कक्ष

विक्रय पटल, साउथ यूटिलिटी, संसद भवन

प्राथमिक चिकित्सा कक्ष (भूतल पर पैन्ट्री के निकट)

*संसदीय ग्रंथालय

---

*संसद भवन के पास संसदीय ग्रंथालय भवन में स्थित है।

*मीडिया एकक

संविधान सदन-

केन्द्रीय कक्ष

समिति कक्ष

विक्रय पटल (कमरा सं. -26क)

प्रकाशन पटल (कमरा सं. 26-क)

रेप्रोग्राफी एकक (कमरा सं. 26-ग)

केन्द्रीकृत पास निर्गम प्रकोष्ठ (कमरा सं. 26)

डाक घर

रेलवे बुकिंग और आरक्षण कार्यालय

भारतीय स्टेट बैंक का वेतन कार्यालय

प्रेस कक्ष

अल्पाहार कक्ष (कमरा सं. 70)

प्रणाली प्रभाग (कमरा सं. 121 और 121क)

संसदीय सौध

बेसमेंट

चिकित्सा केन्द्र

डाकघर

दूर-संचार केन्द्र

भूतल

समिति कक्ष

भारतीय स्टेट बैंक

भोज कक्ष

सभागार

आयकर प्रकोष्ठ

विक्रय पटल (कमरा सं. 005, भूतल)

पहला तल

संसद सदस्य सुविधा अनुभाग (कमरा सं. 141-144)

---

*संसद भवन के पास संसदीय ग्रंथालय भवन में स्थित है।

संसद सदस्य वेतन और भत्ता शाखा (कमरा सं. 141-144)

दूसरा तल

वेतन और लेखा कार्यालय (कमरा सं. 203)

प्रश्न शाखा (कमरा सं. 229 और 233)

तीसरा तल

सम्पर्क अधिकारी (एनडीएमसी) (कमरा सं. 314)

पांचवां तल

संसदीय राजनय अनुभाग (कमरा सं. 527)

सम्पर्क अधिकारी (दूरभाष) (कमरा सं. 520)

छठा तल

आवास और किराया शाखा (कमरा सं. 602)

संसदीय सौध विस्तार भवन

ब्लॉक क, पहला तल

समिति कक्ष

सभागार

भोज कक्ष

ब्लॉक ख

समिति अध्यक्षों के कक्ष

समिति अनुभाग

7. सदस्यों द्वारा आस्तियों और देयताओं की घोषणा

7.1 राज्य सभा सदस्य (आस्तियों तथा देयताओं की घोषणा) नियम, 2004 के नियम 3 के उप-नियम (1) के अंतर्गत राज्य सभा के प्रत्येक चुने गये सदस्य को सभा में अपनी सीट के लिए शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने और उस पर अपने हस्ताक्षर करने की तारीख से 90 दिनों के भीतर अपनी आस्तियों तथा देयताओं तथा अपनी पत्नी/पति और आश्रित बच्चों की आस्तियों के संबंध में घोषणा करनी होगी। नियम 3 के उप-नियम (2) के अनुसार प्रत्येक सदस्य उप-नियम (1) के अधीन अपने द्वारा प्रस्तुत की गई उपर्युक्त सूचना में प्रति वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार हुए परिवर्तन, यदि कोई हो, के बारे में उसी वर्ष की 30 जून तक सूचना देगा।

7.2 सदस्य द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी में भारत तथा विदेश में स्थित आस्तियां और देयताएं शामिल होनी चाहिए।

7.3 निर्धारित प्रपत्र की प्रतियां सूचना कार्यालय, **समिति अनुभाग (आचार)** में उपलब्ध हैं तथा इन्हें राज्य सभा की वेबसाईट (sansad.in/rs) से लिंक 'अधिक'-'डाउनलोड'- 'संसदीय सूचना प्रपत्र-

सदस्यों द्वारा आस्तियों और देयताओं संबंधी उद्घोषणा के लिए प्रपत्र'; और 'अधिक'-'डाउनलोड-आवेदन प्रपत्र-आचार समिति -सदस्यों द्वारा आस्तियों और देयताओं संबंधी उद्घोषणा के लिए प्रपत्र' से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

8. **राज्य सभा के सदस्यों द्वारा हितों की घोषणा**

8.1 राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियमों के नियम 293 के अधीन राज्य सभा के सदस्यों को पांच आर्थिक हितों के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार घोषणा करनी होगी:-

I. **लाभप्रद निदेशकत्व**

(i) कंपनी का नाम और पता

(ii) कंपनी के कारोबार का स्वरूप

(iii) वेतन/शुल्क/भत्ते/लाभ अथवा कोई अन्य प्राप्तियां जो कर योग्य हों (प्रति वर्ष)

II. **नियमित लाभप्रद कार्यकलाप**

(i) प्रतिष्ठान का नाम तथा पता

(ii) कारोबार का स्वरूप

(iii) धारित पद

(iv) प्राप्त पारिश्रमिक की राशि (प्रति वर्ष)

III. **नियंत्रक प्रकृति की शेयरधारिता**

(i) कंपनी का नाम और पता

(ii) कंपनी के कारोबार का स्वरूप

(iii) धारित शेयरों का प्रतिशत

IV. **भुगतान आधारित परामर्श**

(i) परामर्श का स्वरूप

(ii) उस संगठन के व्यावसायिक क्रियाकलाप जहां परामर्शदाता के रूप में कार्यरत हैं

(iii) परामर्श से प्राप्त लाभ का कुल मूल्य

V. **वृत्तिक कार्य**

(i) विवरण

(ii) उससे अर्जित शुल्क/पारिश्रमिक (प्रति वर्ष)

8.2 **राज्य सभा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह नियम 293 के तहत विहित प्रपत्र के अनुसार जानकारी, सभा में अपने पद ग्रहण करने के लिए शपथ या प्रतिज्ञा लेने और उस पर हस्ताक्षर करने की तिथि से नब्बे दिनों के भीतर प्रस्तुत करें।**

8.3 प्रत्येक सदस्य अपने द्वारा दी गई सूचना में प्रति वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार हुए किसी प्रकार के परिवर्तन की सूचना उस तिथि से नब्बे दिन के अंदर देगा।

8.4 सदस्यों द्वारा दी गई जानकारी देश अथवा विदेश में धारित उसके आर्थिक हितों के संबंध में होनी चाहिए।

8.5 निर्धारित प्रपत्र की प्रतियां सूचना कार्यालय, **समिति अनुभाग (आचार)** में उपलब्ध हैं तथा इन्हें राज्य सभा की वेबसाईट (sansad.in/rs) से लिंक 'अधिक'-'डाउनलोड-आवेदन प्रपत्र-आचार समिति-सदस्यों द्वारा हितों संबंधी उद्घोषणा के लिए प्रपत्र'; और 'अधिक'-'डाउनलोड-संसदीय सूचना प्रपत्र-सदस्यों द्वारा हितों संबंधी उद्घोषणा के लिए प्रपत्र' से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

9. सदस्यों की परिलब्धियां और सुविधाएं

9.1 सदस्य ऐसी कतिपय परिलब्धियों और सुविधाओं के हकदार हैं जो उन्हें संसद सदस्य के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य करने हेतु समर्थ बनाने के लिए प्रदान की जाती हैं। मोटे तौर पर, सदस्यों को मुहैया कराई जाने वाली परिलब्धियां/सुविधाएं वेतन और भत्तों, यात्रा सुविधाओं, आवास, दूरभाष आदि से संबंधित है। ये सुविधाएं संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 और उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होती हैं। इन सुविधाओं आदि का संक्षिप्त विवरण आगे के कुछ पैराग्राफों में दिया गया है।

9.2 वेतन और भत्ते

क्र. सं.	शीर्ष	राशि
1.	**वेतन**	प्रतिमाह 1,24,000/- रुपये
2.	**निर्वाचन क्षेत्र भत्ता**	प्रतिमाह 87,000/- रुपये
3.	**कार्यालय व्यय भत्ता**	प्रतिमाह 75,000/- रुपये जिसमें से प्रतिमाह 25,000/- रुपये स्टेशनरी सामग्री, डाक आदि के लिए और प्रतिमाह 50,000/- रुपये वैयक्तिक सहायक(वैयक्तिक सहायकों) के लिए (एक व्यक्ति जिसके पास कंप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान हो) को सचिवालयी सहायता प्रदान करने के लिए।
4.	**ड्यूटी पर रहते हुए निवास की अवधि के लिए दैनिक भत्ता**	प्रतिदिन 2,500/- रुपये (दिल्ली में संसदीय सत्र में अथवा समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए) प्रतिदिन 1,250/- रुपये (दिल्ली से बाहर के किसी स्थान पर समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए, जब सदस्य को आवास और भोजन निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है) ड्यूटी पर रहते हुए निवास की अवधि संसदीय सत्र से तत्काल पूर्व और पश्चात् 3 दिन तथा किसी समिति की बैठक के मामले में वास्तविक कार्य अवधि से पूर्व और पश्चात् 2 दिन होगी।

9.3 सदस्यों के लिए पेंशन

9.3.1 प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने अंतरिम संसद के सदस्य के रूप में या संसद की किसी भी सभा के सदस्य के रूप में किसी भी अवधि के लिए सेवा की हो, प्रतिमाह 31,000/- रुपये की न्यूनतम पेंशन संदेय होगी और जिस सदस्य ने 5 वर्ष से अधिक वर्षों तक की सेवा की है उसे पांच वर्ष से अधिक प्रत्येक वर्ष के लिए प्रतिमाह 2,500/- रुपये की अतिरिक्त पेंशन संदेय होगी। प्रतिमाह 2,500/- रुपये की अतिरिक्त पेंशन प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ 9 माह से अधिक की अवधि को एक पूर्ण वर्ष माना जाएगा।

9.3.2 किसी दिवंगत सदस्य/पूर्व सदस्य के पति/पत्नी या आश्रित, जो न ही वर्तमान सदस्य है और न ही संसद सदस्य वेतन और भत्ता अधिनियम, 1954 की धारा 8क के अधीन पेंशन प्राप्त कर रहा/रही है, पति/पत्नी या आश्रित जीवन की शेष अवधि के लिए जब तक कि वह आश्रित बना रहता/रहती है, उस दिवंगत सदस्य/पूर्व सदस्य को अन्यथा स्वीकार्य पेंशन की 50 प्रतिशत राशि के बराबर कुटुम्ब पेंशन पाने का हकदार है।

9.3.3 इस संबंध में संगत प्रपत्र राज्य सभा की वेबसाइट (https://sansad.in/rs/) पर 'अधिक'- 'डाउनलोड'-'आवेदन प्रपत्र'-'एस.एस. एंड ए ब्रांच' लिंक के तहत डाउनलोड किए जा सकते हैं।

9.4 आवास

9.4.1 सदस्यों की रिहायशी आवास की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सदस्यों हेतु पृथक रिहायशी पूल स्थापित किया गया है। इस पूल से सदस्यों के लिए आवासों का आवंटन राज्य सभा की आवास समिति द्वारा किया जाता है। आवास के लिए व्यवस्था आवास समिति द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार की जाती है। इस संबंध में विस्तृत ब्यौरा संसद सदस्य सुविधा अनुभाग (कमरा सं. 227, प्रथम तल, संसदीय सौध, दूरभाष:23034227, 23034059) में उपलब्ध है। सदस्य, नियमित आवास के आवंटन के लिए, समिति अध्यक्ष, आवास समिति को संबोधित करके हस्ताक्षर सहित अपने लेटरहेड पर अपना आवेदन संसद सदस्य सुविधा अनुभाग में जमा करा सकते हैं या ई-मेल rsma@sansad.nic.in पर भेज सकते हैं।

9.4.2 नव-निर्वाचित/नाम-निर्देशित सदस्यों के मामले में सचिवालय संबंधित राज्य भवनों/ अतिथि गृहों में अस्थायी व्यवस्थाएं भी करेगा। सदस्य, राज्य सभा की आवास समिति द्वारा आवंटित अपने **नियमित आवास का कब्जा लेने/ उसमें निवास करने के** 14 **वें दिन से** ऐसे ट्रांसिट आवास के संबंध में किराया/बकाया राशि के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा।

9.4.3 प्रत्येक सदस्य अपने कार्यकाल पर्यन्त लाइसेंस शुल्क मुक्त फ्लैट या हॉस्टल आवास का हकदार है। जहां किसी सदस्य को उनके अनुरोध पर राज्य सभा पूल से बंगले के रूप में रिहायशी आवास आवंटित किया जाता है, वहां सामान्य लाइसेंस शुल्क लिया जाता है।

9.4.4 **किसी सदस्य को आवास का आवंटन, उनके सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, पदच्युति या अन्य कारणों से संसद में उनकी सदस्यता समाप्त होने पर, रद्द हो जाएगा।** हालाँकि, विद्युत और पानी की सुविधा आवास खाली करने की तारीख तक उपलब्ध रहेगी, परंतु इस शर्त के अध्यधीन कि कोई सदस्य सेवानिवृत्ति/ त्यागपत्र / पदच्युति आदि की तारीख से केवल एक माह की अवधि के दौरान पानी और विद्युत का अप्रयुक्त कोटा उपयोग कर सकता है।

9.4.5 किसी सदस्य की मृत्यु होने की स्थिति में दिवंगत सदस्य का परिवार आवास को उसी रियायती लाइसेंस शुल्क, जो संसद सदस्य की मृत्यु से तत्काल पूर्व उस सदस्य पर लागू निबंधनों के आधार पर

वसूला जा रहा था, का भुगतान करके संसद सदस्य की मृत्यु की तारीख से **छह माह** की अवधि तक रख सकता है।

9.5 दूरभाष सुविधाएं

क्र.सं.	कनेक्शन/सुविधा का प्रकार	ऑपरेटर	संस्थापना/टिप्पणियां
1.	लैंडलाइन टेलीफोन	एमटीएनएल	दिल्ली या नई दिल्ली में संसद सदस्य के निवास स्थान में या दिल्ली या नई दिल्ली में संसद सदस्य के कार्यालय में
2.	लैंडलाइन टेलीफोन	एमटीएनएल या बीएसएनएल	संसद सदस्य के सामान्य निवास स्थान पर, या उनके द्वारा चयनित ऐसे स्थान पर, जो - (i) उस राज्य में स्थित है, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता/करती है, अथवा, राज्य सभा के लिए नामनिर्देशित सदस्य के सिवाय सभा के अन्य किसी सदस्य के मामले में, उस राज्य में स्थित है जिसमें वह निवास करता/करती है; अथवा (ii) नामनिर्देशित सदस्य के मामले में राज्य सभा के सभापति या लोक सभा अध्यक्ष, यथास्थिति, द्वारा अनुमोदित स्थान हो।
3.	ब्रॉडबैंड/इंटरनेट कनेक्शन के साथ लैंडलाइन टेलीफोन	एमटीएनएल या बीएसएनएल	(क) संसद सदस्य के ऐसे कार्यालय पर, जो दिल्ली या नई दिल्ली में उसके निवास पर स्थित हो; या (ख) संसद सदस्य के सामान्य निवास के स्थान पर; या (ग) संसद सदस्य के राज्य के भीतर उसके द्वारा चयनित स्थान पर; या (घ) उस राज्य के भीतर जहां संसद सदस्य निवास करता हो।
4.	अतिरिक्त ब्रॉडबैंड कनेक्शन	एमटीएनएल या बीएसएनएल	संसद सदस्य की हैसियत में, एमटीएनएल या बीएसएनएल द्वारा प्रदान किए गए किसी भी लैंडलाइन कनेक्शन पर संस्थापित किया जा सकता है, यदि वह संसद सदस्य को एक वर्ष

			में मिलने वाले 1,50,000/- मुफ्त कॉलों में से 10,000 टेलीफोन कॉलों का परित्याग करने के संबंध में वचनपत्र देता है।
5.	मोबाइल सिम (पहला)	एमटीएनएल	असीमित कॉल, मोबाइल डेटा और राष्ट्रीय रोमिंग सुविधा के साथ
6.	मोबाइल सिम (दूसरा)	एमटीएनएल या बीएसएनएल	असीमित कॉल, मोबाइल डेटा और राष्ट्रीय रोमिंग सुविधा के साथ
7.	मोबाइल सिम (केवल डेटा)	एमटीएनएल या बीएसएनएल	टैबलेट/आईपैड आदि में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए असीमित डेटा के साथ
8.	एफटीटीएच *(फाइबर-टू-द-होम)*	एमटीएनएल	दिल्ली में संसद सदस्य के निवास पर फाइबर टू द होम नेटवर्क के साथ वाई-फाई सुविधा वाला उच्च गति ब्रॉडबैंड

9.5.1 सदस्य, एक वर्ष में उपर्युक्त टेलीफोन/मोबाइल कनेक्शनों पर कुल 1,50,000 स्थानीय कॉलों का हकदार होगा। एक वर्ष के लिए उपलब्ध निःशुल्क कोटे में से अप्रयुक्त कॉल, संसद सदस्य के कार्यकाल के आगे अगले वर्ष तक बढ़ा दिए जाएंगे। उसी प्रकार, वर्ष में उपलब्ध कोटे से अधिक की गई कॉल अगले वर्ष के लिए उपलब्ध कोटे में समायोजित की जाएँगी।

9.5.2. एमटीएनएल और बीएसएनएल, सदस्यों को उनकी विदेश यात्राओं के दौरान प्रदान किए गए एमटीएनएल/ बीएसएनएल मोबाइल कनेक्शनों पर **अंतरराष्ट्रीय रोमिंग** की सुविधा भी प्रदान करते हैं। कोई सदस्य यात्रा शुरू होने से कम से कम 24 घंटे पहले संसद सदस्य सुविधा अनुभाग, कमरा सं. 141—144, प्रथम तल, संसदीय सौध (ईमेलः rsma@sansad.nic.in) को इस आशय का अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

9.5.3. इन टेलीफोन/मोबाइल/इंटरनेट सुविधाओं के लिए आवेदन पत्र संसद सदस्य सुविधा अनुभाग (कमरा सं. 141—144, प्रथम तल, संसदीय सौध) तथा सूचना कार्यालय, राज्य सभा सचिवालय में उपलब्ध हैं, साथ ही राज्य सभा की वेबसाइट sansad.in/rs/hi पर पैरा 9.3.1 में उल्लिखित लिंक के अधीन भी उपलब्ध हैं।

9.5.4. सदस्य की मृत्यु के मामले में परिवार द्वारा टेलीफोन सुविधाओं का प्रतिधारण

सदस्य की उसके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाने के मामले में उसका परिवार सदस्य की मृत्यु से **दो माह** से अनधिक अवधि तक टेलीफोन, मोबाइल कनेक्शन, इंटरनेट सुविधाएं आदि, जो सदस्य को उसकी मृत्यु से ठीक पहले उपलब्ध थीं, को प्रतिधारित करने का हकदार होगा।

9.6 राज्य सभा के सदस्यों के लिए छूट प्राप्त श्रेणी के अंतर्गत फास्टैग

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा फास्टैग के रूप में राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित टोल प्लाजाओं पर एक कैशलेस भुगतान तंत्र शुरू किया गया है। राज्य सभा के सदस्यों को दो वाहनों (एक नई दिल्ली और एक उनके राज्य में) के लिए दो फास्टैग छूट प्राप्त श्रेणी में निःशुल्क जारी किए जाते है। संसद सदस्य अतिरिक्त जानकारी के लिए संसद सदस्य सुविधा अनुभाग, कमरा सं. 141—144, प्रथम तल, संसदीय सौध, दूरभाष संख्या 23034227, 23034059 पर संपर्क कर सकते है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का एक अधिकारी कार्यदिवसों पर फास्टैग से संबंधित सेवाएं प्रदान करने हेतु संविधान सदन, कमरा सं. 26-बी के सामने उपस्थित रहता है।

9.7 वाहन खरीद के लिए अग्रिम

एक सदस्य चार लाख रुपए से अनधिक या खरीदे जाने वाले वाहन की वास्तविक कीमत, जो भी कम हो, का अग्रिम प्राप्त करने का हकदार है। स्वीकृत अग्रिम धनराशि और उस पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू विद्यमान दर से साधारण ब्याज को संबंधित सदस्य के वेतन बिल से 60 बराबर मासिक किस्तों से अनधिक किस्तों में वसूला जायेगा, ये किस्तें उसकी सदस्यता की अवधि के भीतर ही वसूली जाएंगी । वाहन की खरीद के लिए अग्रिम लेते समय सदस्य को प्रपत्र-। में एक करार करना होगा और वाहन खरीदने के पश्चात् प्रपत्र-॥ में बन्धक बांड निष्पादित करना होगा जो कि अग्रिम की प्रतिभूति के रूप में वाहन को केन्द्रीय सरकार को उपप्राधीयित करेगा। अग्रिम से खरीदे गए वाहन का आग, चोरी और दुर्घटना के कारण होने वाली पूर्ण क्षति के लिए प्रपत्र-III के अनुसार बीमा कराना होगा, जिसके द्वारा बीमा कंपनी वाहन को हुई क्षति के संबंध में केन्द्रीय सरकार को हानि या क्षति का भुगतान करने के लिए राजी होगी। सभी प्रपत्र संसद सदस्य वेतन और भत्ता शाखा, (कमरा सं. 141—144, प्रथम तल, संसदीय सौध, दूरभाषः 23034224/23034228 में उपलब्ध हैं) और इन्हें राज्य सभा की वेबसाइट (sansad.in/rs/hi) पर 'अधिक'-'डाउनलोड'-'आवेदन प्रपत्र'-'एम.एस. एंड ए ब्रांच'-' राज्य सभा के सदस्यों द्वारा वाहन की खरीद के लिए अग्रिम राशि का दावा प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र' लिंक के तहत डाउनलोड भी किया जा सकता है।

9.8 भूतपूर्व सदस्यों को नि:शुल्क रेल यात्रा सुविधा

भूतपूर्व संसद सदस्य, यथास्थिति, संसद के किसी भी सदन के सचिवालय द्वारा जारी भूतपूर्व संसद सदस्य पहचान-पत्र के आधार पर भारत में किसी भी रेलगाड़ी में वातानुकूलित टू-टियर श्रेणी में एक सहयात्री के साथ या भारत में किसी भी रेल द्वारा संचालित किसी भी गाड़ी में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में अकेले बिना कोई भुगतान किए यात्रा करने के हकदार हैं।

9.9 सदस्यों के लिए आशुलिपिकीय/टंकण (अंग्रेजी और हिन्दी) सहायता

माननीय सदस्यों को उनके संशोधनों, प्रश्नों, संकल्पों, प्रस्तावों की सूचनाएं और सभा की कार्यवाही संबंधी अन्य सम्बद्ध लोक महत्व के मामलों के टंकण में सहायतार्थ अंग्रेजी तथा हिन्दी आशुलिपिकों की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। यह सहायता राज्य सभा चैंबर के निकट स्थित आशुलिपिक पूल कमरा सं. आरएस 26, प्रथम तल (दूरभाषः 23083096, 23083097), संसद भवन में उपलब्ध है। तथापि, राज्य सभा के सत्र के दौरान, इस अवधि में कार्य की अधिकता को ध्यान में रखते हुए माननीय सदस्य अपने संसदीय कार्यो हेतु व्यक्तिगत रूप से भी इस अनुभाग में जा सकते हैं, ताकि उनके कार्य को उपयुक्त प्राथमिकता दी जा सके।

आशुलिपिक पूल के कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि वे असंसदीय प्रकृति के कार्यों को हाथ में न लें। अतः, माननीय सदस्यों को आशुलिपिक पूल में केवल संसदीय कार्य ही देना चाहिए, जो एक बार में पांच या छह पृष्ठों से अधिक का डिक्टेशन और/अथवा टंकण कार्य नहीं होना चाहिए।

9.10 संसद सदस्यों के लिए रेप्रोग्राफिक सेवा

संविधान सदन की बाहरी लॉबी में स्थित कमरा सं. 26-सी, भू-तल (दूरभाषः 23034862) में एक फोटोकॉपियर उपलब्ध है। संसद सदस्यों के लिए भुगतान आधार पर दस्तावेजों की फोटोकॉपी की जाती है।

9.11 चिकित्सा सुविधाएं

9.11.1 राज्य सभा के सदस्य और उनके परिवार के पात्र सदस्य अंशदायी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के अंतर्गत वही चिकित्सा सुविधाएं पाने के हकदार हैं जो केन्द्रीय सिविल सेवाएं श्रेणी-I के अधिकारियों के लिए उपलब्ध होती है और इनके लिए उन्हें 1000/- रु. का मासिक अंशदान देना होता है जो उनके वेतन से काटा जाता है।

9.11.2 इस सेवा के लिए सदस्यों और उनके परिवर के पात्र सदस्यों को अनुरोध पर पृथक सीजीएचएस कार्ड जारी किए जाते हैं। इस संबंध में आवेदन प्रपत्र संसद सदस्य सुविधा अनुभाग और सूचना कार्यालय में और उक्त राज्य सभा की वेबसाइट (sansad.in/rs/hi) पर उपलब्ध है।

9.11.3 सदस्य मान्य सीजीएचएस कार्ड (भौतिक या डिजीलॉकर मोबाइल ऐप के माध्यम से) या सीजीएचएस इंडेक्स कार्ड प्रस्तुत करके अपने सीजीएचएस आरोग्य केंद्रों में (कार्यदिवसों में पूर्वाह्न 7:30 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक; रविवार और केंद्रीय सरकार के अवकाशों को छोड़कर) चिकित्सा सुविधाएँ प्राप्त कर सकते हैं। नई दिल्ली में सदस्यों के आवासीय क्षेत्रों के निकट सीजीएचएस आरोग्य केंद्र नॉर्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू, टेलीग्राफ लेन, पंडारा रोड, और डॉ. जाकिर हुसैन मार्ग पर स्थित हैं।

9.11.4 संसद सदस्यों और पूर्व संसद सदस्यों के लिए संसदीय सौध में एक चिकित्सा केंद्र (दूरभाषः 23034100) भी विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ कार्यशील है। इस चिकित्सा केंद्र में बुनियादी प्रयोगशाला जाँच सुविधा सहित एक्स-रे, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड आदि की सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं।

9.11.5 राज्य सभा के सदस्य और उनके परिवार के पात्र सदस्य, जो सीजीएचएस के अंतर्गत कवर किए गए हों, वे सरकारी विशेषज्ञ / सीजीएचएस चिकित्सा अधिकारी द्वारा रेफर किए/सलाह दिए जाने पर सीजीएचएस के पैनलबद्ध निजी अस्पतालों से चिकित्सा परामर्श की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, सरकारी विशेषज्ञ/सीजीएचएस चिकित्सा अधिकारी द्वारा सलाह दिए जाने पर, वे सीजीएचएस के सूचीबद्ध चिकित्सा जाँचों और उपचार प्रक्रियाओं के लिए सीजीएचएस के पैनलबद्ध निजी अस्पतालों और नैदानिक केन्द्रों से क्रेडिट आधार पर सुविधाएँ प्राप्त कर सकते हैं, और इसके लिए राज्य सभा सचिवालय से किसी अनुमति पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

9.11.6 सीजीएचएस के अंतर्गत पैनलबद्ध निजी स्वास्थ्य देखरेख संस्थाओं तथा विभिन्न शहरों में सूचीबद्ध विशिष्ट उपचार प्रक्रियाओं/जाँचों की दरें ऑनलाइन https://cghs.gov.in के लिंक Beneficiary Corner → Empanelled Hospitals, Diagnostic Centres and Rates पर उपलब्ध हैं।

9.11.7 सरकारी विशेषज्ञ/ सीजीएचएस चिकित्सा अधिकारी द्वारा सलाह दिए जाने के पश्चात्, किसी गैर-सूचीबद्ध उपचार प्रक्रिया/जाँच हेतु क्रेडिट सुविधा प्राप्त करने के लिए सदस्य को संसद सदस्य सुविधा

अनुभाग, राज्य सभा सचिवालय (कमरा सं. 141—144, प्रथम तल, संसदीय सौध) से पैनलबद्ध अस्पताल या नैदानिक केन्द्र के नाम से अनुमति लेनी होगी।

9.11.8 यदि सदस्य किसी गैर-पैनलबद्ध अस्पताल/नैदानिक केन्द्र से आपातकालीन उपचार लेते हैं, तो वे राज्य सभा सचिवालय की संसद सदस्य वेतन और भत्ता शाखा (कमरा सं. 141-144, प्रथम तल, संसदीय सौध; दूरभाषः 23034228 / 23034224) से संगत नियमों के अधीन यथा स्वीकार्य प्रतिपूर्ति का दावा भी कर सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए आवेदन पत्र राज्य सभा की वेबसाइट (sansad.in/rs/hi) के लिंक अधिक → डाउनलोड → आवेदन प्रपत्र → एम.एस. एंड ए ब्रांच → चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए प्रपत्र के अंतर्गत डाउनलोड किया जा सकता है।

<u>प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्थाएं</u>

9.11.9 आपात स्थिति में संसद सदस्यों को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित प्राथमिक चिकित्सा केंद्र भी कार्यशील हैंः

- कमरा सं. जी-69, गरुड़ द्वार के निकट, संसद भवन में।
- यदि केंद्रीय कक्ष, संविधान सदन में किसी कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, तो सदस्यों को यह सुविधा संविधान सदन की आंतरिक लॉबी में भी प्रदान की जाती है।
- विठ्ठलभाई पटेल हाउस, रफी मार्ग, नई दिल्ली में।

<u>औषधालय के सामान्य कार्य-समय के बाद सीमित आपातकालीन सेवा</u>

9.11.10 दिल्ली में निम्नलिखित तीन चिह्नित आरोग्य केन्द्रों में आपातकालीन सेवाएं (24X7) उपलब्ध हैं:-

(i)	नॉर्थ एवेन्यू	-	31, नॉर्थ एवेन्यू, नई दिल्ली। दूरभाषः 011-23094420
(ii)	साउथ एवेन्यू	-	153, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली। दूरभाषः 011-23013490
(iii)	डॉ. जाकिर हुसैन रोड	-	सीजीएचएस बिल्डिंग, डॉ. जाकिर हुसैन रोड, नई दिल्ली। दूरभाषः011-23092990

आपातकालीन सेवा प्रदान करने वाले आरोग्य केंद्रों का समय इस प्रकार हैः

(i)	आरोग्य केंद्र का समय	-	पूर्वाह्न 7:30 बजे से अपराह्न 1:30 बजे तक
(ii)	सीमित आपातकालीन सेवाएँ	-	अपराह्न 1:30 बजे से पूर्वाह्न 7:30 बजे तक

9.12 यात्रा सुविधाएं

9.12.1 कोई भी सदस्य सभा के सत्र या समिति की बैठक में भाग लेने या सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों से संबंधित कोई अन्य कार्य करने के प्रयोजन से अपने प्रायिक निवास स्थान से की जाने वाली यात्रा और ऐसे स्थान से अपने प्रायिक निवास स्थान तक वापसी यात्रा के लिए निम्नानुसार यात्रा भत्ता प्राप्त करने का हकदार है:-

(क) यदि हवाई यात्रा की जाती है, तो ऐसी प्रत्येक यात्रा के लिए एक हवाई यात्रा के किराये की धनराशि के समान धनराशि;

(ख) यदि यात्रा या उसका कोई भाग रेल अथवा विमान द्वारा नहीं किया जा सकता है तो -

(i) जहां कोई यात्रा या उसका कोई भाग स्टीमर द्वारा सम्पन्न किया जाता है तो स्टीमर के उच्चतम श्रेणी के एक बार के किराये (आहार रहित) के समान धनराशि;

(ii) जहां कोई यात्रा या उसका कोई भाग सड़क मार्ग द्वारा सम्पन्न किया जाता है तो ऐसी प्रत्येक यात्रा या उसके भाग के लिए 16 रुपये प्रति कि.मी. की दर से सड़क मील भत्ता।

9.12.2 जो सदस्य दिल्ली से 300 कि.मी. की दूरी के भीतर रह रहे हैं, वे रेल संपर्क होने के बावजूद सड़क द्वारा की गई यात्रा के लिए सड़क मील भत्ते के हकदार होंगे। इसी तरह, जो सदस्य, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम या त्रिपुरा राज्यों में रह रहे हैं, वे रेल सम्पर्क होने के बावजूद अपने प्रायिक निवास स्थान से निकटतम विमानपत्तन तक की गई सड़क यात्राओं के लिए सड़क मील भत्ते के हकदार होंगे।

9.12.3 संसद के किसी सत्र या किसी समिति की बैठक में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ते का दावा करने के प्रयोजन के लिए, सदस्यों के लिए सत्र में भाग लेने हेतु सम्मन जारी होने के पश्चात् या किसी समिति की बैठक में भाग लेने के लिए बैठक की सूचना जारी होने के पश्चात् ही यात्रा करना अपेक्षित है।

9.12.4 जब कोई सदस्य, संसद की सभा के सत्र या किसी समिति की बैठक में भाग लेने के प्रयोजन से या सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों से संबंधित किसी अन्य कार्य को पूरा करने के प्रयोजन से अपने प्रायिक निवास स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान से यात्रा करता है/ करती है या ऐसे स्थान पर वापस लौटता है/ लौटती है तो वह या तो वास्तविक रूप से की गई यात्रा के लिए या अपने प्रायिक निवास स्थान से या प्रायिक निवास स्थान तक की यात्रा के लिए, जो भी कम हो, यात्रा भत्ता प्राप्त कर सकता है/ सकती है।

9.12.5 कोई सदस्य लघुतम मार्ग से संसक्त उड़ान उपलब्ध न होने पर उसी दिन अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए असुविधा से बचने हेतु किसी अन्य मार्ग से यात्रा करने का हकदार है बशर्ते कि राज्य सभा के सभापति की अनुमति प्राप्त हो।

9.12.6 संसद सदस्य की पत्नी या पति सदस्य के प्रायिक निवास-स्थान से दिल्ली और वापसी की जितनी बार भी वह चाहे, किसी भी रेलगाड़ी में प्रथम श्रेणी वातानुकूलित अथवा एक्जीक्यूटिव श्रेणी में यात्रा कर सकती/सकते हैं।

9.12.7 संसद सदस्य की पत्नी या पति संसद सत्र के दौरान, सदस्य के प्रायिक निवास स्थान से दिल्ली और वापसी की विमान से यात्रा कर सकती/सकते हैं परंतु इस शर्त के अध्यधीन कि ऐसी यात्राओं की कुल संख्या वर्ष में आठ से अधिक नहीं होगी।

9.12.8 दिल्ली से 300 कि.मी. की दूरी के भीतर सदस्य के साथ रह रहे सदस्य की पत्नी या पति भी रेल संपर्क होने के बावजूद सड़क द्वारा की गई उक्त यात्राओं के लिए सड़क मील भत्ते के हकदार होंगे। इसी तरह जिस सदस्य की पत्नी या पति अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम या त्रिपुरा राज्यों में रह रहे हैं, वे रेल सम्पर्क होने के बावजूद अपने प्रायिक निवास स्थान से निकटतम विमानपत्तन तक सड़क द्वारा की गई उक्त यात्राओं के लिए सड़क मील भत्ते के हकदार होंगे।

9.12.9 प्रत्येक सदस्य स्वयं के लिए या पति/पत्नी के साथ या कितने भी साथियों या संबंधियों के साथ एक वर्ष में भारत के किसी भी स्थान से भारत में किसी अन्य स्थान तक के लिए 34 निःशुल्क एकल विमान यात्राओं का हकदार है। इन 34 निःशुल्क विमान यात्राओं में से सदस्य की पत्नी/पति या साथी उसके पास आने के लिए अकेले एक वर्ष में अधिकतम 8 विमान यात्राओं के लिए ही हकदार होंगे। तथापि, जहां कोई सदस्य एक वर्ष में विमान द्वारा 34 से कम यात्रा करता है, तो उसके द्वारा न की गई शेष यात्राएं आगामी वर्ष की जाने वाली यात्राओं में जोड़ दी जाएंगी। (*कृपया विस्तृत जानकारी के लिए संसद सदस्य वेतन और भत्ता शाखा से संपर्क करें*)। किसी वर्ष विशेष में 34 से अधिक की गई हवाई यात्राओं, जिनकी अधिकतम सीमा 8 होगी, का समायोजन आगामी वर्ष के लिए उपलब्ध 34 हवाई यात्राओं में से किया जा सकेगा।

9.12.10 यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता का दावा करने के प्रयोजनार्थ सदस्य विहित प्रपत्र पर (आगमन/प्रस्थान प्रतिवेदन/मध्यवर्ती यात्रा प्रपत्र) अपनी यात्रा का समस्त ब्यौरा देंगे और प्रयुक्त हवाई यात्रा टिकटों को मूल रूप में तथा ई-टिकट के मामले में, सदस्य द्वारा विधिवत् प्रतिहस्ताक्षरित इलेक्ट्रॉनिक टिकट तथा बोर्डिंग पास संसद सदस्य वेतन और भत्ता शाखा को प्रस्तुत करेंगे।

9.12.11 जिन मामलों में, हवाई यात्रा टिकट खो जाती है, वहां सदस्य को संबंधित एयरलाइन्स से हवाई यात्रा किए जाने का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

9.12.12 यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता का दावा करने के लिए प्रपत्र संसद सदस्य वेतन और भत्ता शाखा (कमरा सं. 141-144, प्रथम तल, संसदीय सौध, दूरभाष सं.: 23034224/23034228) और सूचना कार्यालय (कमरा सं. जी-16, संसद भवन, दूरभाष सं.: 23083082/3083) में उपलब्ध हैं। यह प्रपत्र राज्य सभा की वेबसाइट (sansad.in/rs/hi) पर 'अधिक'-'डाउनलोड'- 'आवेदन प्रपत्र'- 'एम.एस. एंड ए. ब्रांच'- ' आगमन/प्रस्थान रिपोर्ट/मध्यवर्ती यात्रा फार्म' लिंक के अंतर्गत भी डाउनलोड किया जा सकता है।

9.13 स्मार्ट पहचान पत्र-सह-रेल पास

9.13.1 प्रत्येक सदस्य को एक स्मार्ट पहचान पत्र-सह-रेल पास प्रदान किया जाता है जिससे वह और उसकी पत्नी/पति भारत में किसी भी रेलवे द्वारा किसी भी समय वातानुकूलित प्रथम श्रेणी अथवा एक्जीक्यूटिव श्रेणी में, ए.सी. टू टियर में एक सहचर के साथ यात्रा करने का हकदार होता है/होती है। ऐसा पास उसके कार्यकाल के लिए वैध है। उसके कार्यकाल की समाप्ति पर, यह पास केंद्रीकृत पास निर्गम प्रकोष्ठ (सीपीआईसी), राज्य सभा के सुपुर्द किया जाना अपेक्षित है।

9.13.2 सदस्य की पत्नी/पति की रेल द्वारा सदस्य के प्रायिक निवास स्थान से दिल्ली और वापसी की यात्रा के लिए सदस्य के अनुरोध पर एक पृथक् प्रथम श्रेणी वातानुकूलित या एक्जीक्यूटिव श्रेणी का अहस्तांतरणीय स्मार्ट पहचान पत्र-सह-रेल पास सदस्य को उनके आवेदन की प्राप्ति पर जारी किया जाता है। इस संबंध में प्रपत्र राज्य सभा की वेबसाइट (sansad.in/rs/hi) पर 'अधिक'-'डाउनलोड'- 'नए सदस्यों के लिए प्रपत्र' - 'एम.एस. एंड ए. ब्रांच'- 'सदस्य की पत्नी/पति के उपयोग हेतु अहस्तांतरणीय प्रथम श्रेणी रेल पास जारी करने के लिए आवेदन पत्र' लिंक के अंतर्गत डाउनलोड किया जा सकता है। पत्नी/पति का रेल पास

सदस्यता समाप्त होने पर सीपीआईसी, राज्य सभा को वापस किया जाना अपेक्षित है। (*कृपया ब्यौरे के लिए* सीपीआईसी / *संसद सदस्य वेतन और भत्ता शाखा से सम्पर्क करें।*)

9.14 **स्मार्ट पहचान पत्र-सह-रेल पास का खो जाना**

सदस्य या उनकी पत्नी/उनके पति, या पूर्व सदस्य का स्मार्ट पहचान पत्र-सह-रेल पास खो जाने पर उसकी सूचना तत्काल राज्य सभा के सभापति और नजदीकी थाने में दी जानी चाहिए। नया पहचान पत्र पुनः जारी किए जाने हेतु सदस्य/पूर्व सदस्य को पुलिस प्राधिकारियों के पास दर्ज करायी गई सामग्री की गुमशुदगी रिपोर्ट की प्रति संलग्न करते हुए सीपीआईसी से आवेदन करना होगा।

10. **रेल आरक्षण**

10.1 सदस्यों की सुविधा के लिए एक रेलवे बुकिंग और आरक्षण कार्यालय (दूरभाषः 23034741/23017369) सप्ताह में प्रतिदिन (शनिवार और रविवार सहित) कमरा सं. 131, तीसरी मंजिल, संविधान सदन में पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 8.00 बजे तक कार्य करता है।

10.2 सदस्यों के दौरे/यात्राओं के लिए एयरलाइंस की टिकट बुकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए संसदीय सौध में वीआईपी गेट के पास बेसमेंट में सभी कार्य दिवसों (शनिवार और रविवार को छोड़कर) पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 6.00 बजे तक आईआरसीटीसी का एक एयर बुकिंग काउंटर भी कार्य करता है। किसी भी पूछताछ/सहायता के लिए आईआरसीटीसी काउंटर से 8287930300 /8287930215 पर संपर्क किया जा सकता है।

11. **संसद सदस्यों तथा उनके पति/उनकी पत्नी को राजनयिक पारपत्र जारी किया जाना**

11.1 संसद सदस्य तथा उनकी पत्नी/उनके पति राजनयिक पारपत्र के हकदार हैं जो कि सीपीवी प्रभाग, विदेश मंत्रालय, पटियाला हाउस, नई दिल्ली द्वारा जारी किये जाते हैं। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संशोधित अनुदेशों के अनुसार, जो सदस्य तथा उनकी पत्नी/उनके पति राजनयिक पारपत्र प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें विदेश मंत्रालय की वेबसाइट www.passportindia.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। संपूरित आवेदन का प्रिंटआउट आवेदक द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात् संसदीय राजनय अनुभाग (कमरा सं. 534, संसदीय सौध, दूरभाषः 23034527) को अनुरोध पत्र के साथ भेजनी होंगी। आवेदन पत्र के साथ हाल ही में खींची गई रंगीन फोटो, जिसमें चेहरा सामने की ओर हो, दोनों कान स्पष्ट रूप से दृश्यमान हों और पृष्ठभूमि सफेद हो, की दो से तीन प्रतियां (आकार 4.5 सेमी × 3.5 सेमी) संलग्न होना अनिवार्य है।

11.2 सदस्य या उनकी पत्नी/उनके पति जिन्हें कोई अन्य पासपोर्ट उनके नाम पर जारी किया गया है, वे उसे भी अपने आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न करें ताकि उसे सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जा सके।

12. **संसद सदस्यों अथवा उनकी पत्नी/उनके पति द्वारा राजनयिक पारपत्रों का उपयोग**

12.1 इस संबंध में विदेश मंत्रालय के दिनांक 21 जनवरी, 2010 की पत्र सं. VII/403/1/2010 के माध्यम जारी किये गये दिशा निर्देशों को सदस्यों के सूचनार्थ नीचे प्रस्तुत किया गया हैः-

"माननीय संसद सदस्यों अथवा उनकी पत्नी/उनके पति द्वारा गैर-सरकारी अथवा गैर-संसदीय कार्य, उदाहरणस्वरूप अवकाश के लिए, अथवा वकील, चिकित्सक, व्यवसायी अथवा वास्तुकार के रूप में व्यावसायिक कार्य, इत्यादि के लिए उपयोग किए जा रहे राजनयिक पारपत्रों का प्रश्न उठाया गया है।

12.2 राजनयिक पारपत्र उन व्यक्तियों को, जो राजनयिक हैसियत रखते हैं और जिन्हें राजनयिक कार्यों के लिए विदेश भेजा जाता है अथवा उन व्यक्तियों को, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित कतिपय पदों पर आसीन होते हैं, जारी किए जाते हैं। राजनयिक पारपत्र ऐसे व्यक्तियों की पत्नी/पति को उनके साथ विदेश यात्राओं पर जाने के लिए जारी किए जाते हैं। यद्यपि राजनयिक पारपत्रों का उपयोग निजी दौरे [पर्यटन अथवा मित्रों/सगे-संबंधियों से मिलने के लिए] किया जा सकता है, फिर भी ये निजी व्यवसाय हेतु विदेश यात्रा किए जाने के लिए नहीं होते हैं।

12.3 विदेशी मिशनों को संबोधित वीजा नोट जारी करते समय, दौरे का प्रयोजन, अर्थात सरकारी अथवा निजी, निर्दिष्ट किया जाता है। तथापि, इस मंत्रालय के वीजा नोट पर ध्यान दिए बिना, आवेदक के वीजा को मंजूर अथवा नामंजूर करना विदेशी मिशनों का विशेषाधिकार होता है।"

13. सदस्यों/उनकी पत्नी/उनके पति की निजी विदेश यात्रा के लिए वीज़ा नोट जारी किया जाना

13.1 सदस्यों और उनकी पत्नी/पति द्वारा ऐसे देशों की निजी यात्रा [पर्यटन या मित्रों/रिश्तेदारों से मिलने के लिए] करने के लिए, जिनके लिए वीज़ा की आवश्यकता होती है, संबंधित सदस्यों से विशिष्ट अनुरोध प्राप्त होने पर विदेश मंत्रालय, पटियाला हाउस, नई दिल्ली द्वारा वीज़ा नोट जारी किये जाते हैं।

13.2 जो सदस्य निजी यात्रा के लिए वीज़ा नोट जारी कराना चाहते हों, वे विदेश मंत्रालय से वीज़ा नोट प्राप्त करने के लिए अपनी मांग (राज्य सभा के महासचिव के नाम से) अपने राजनयिक पारपत्रों की प्रति और वीज़ा नोट प्राप्त करने के लिए विदेश मंत्रालय की उपयुक्त राजनैतिक स्वीकृति सहित, संसदीय राजनय अनुभाग को भेज सकते हैं। राजनैतिक स्वीकृति के लिए https://www.epolclearance.gov.in/ पर आवेदन किया जा है।

13.3 सदस्यों और उनकी पत्नी/उनके पति के राजनयिक पारपत्रों पर वीज़ा पृष्ठांकन सदस्यों द्वारा स्वयं संबंधित विदेशी दूतावास/उच्चायोग से करवाया जाएगा।

13.4 उक्त बातें सदस्यों द्वारा उनकी विशेषज्ञता और किसी क्षेत्र के ज्ञान के कारण सम्मेलनों, सेमिनारों आदि में उनकी व्यक्तिगत हैसियत से विदेशी आतिथ्य सहित या उसके बिना भागीदारी करने के लिए विदेश यात्रा करने पर भी लागू होंगी।

14. विदेश यात्रा करने वाले सदस्य

14.1 सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि उन्हें अपनी विदेश यात्रा की सूचना ऐसी यात्रा का उद्देश्य बताते हुए कम से कम 3 सप्ताह पहले महासचिव को भेज देनी चाहिए ताकि विदेश मंत्रालय और संबंधित भारतीय मिशन/दूतावास को उसकी सूचना दी जा सके। सदस्यों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने यात्रा कार्यक्रमों को जैसे ही वे निश्चित हो जाते हैं, वैसे ही संयुक्त सचिव, संसदीय राजनय को rscp@sansad.nic.in पर ई-मेल करें।

14.2 विदेश मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 11 सितम्बर, 2006 और 3 अक्तूबर, 2016 के कार्यालय ज्ञापन सं एए/122/43/2006 के अनुसार, भारतीय मिशन/पोस्ट गणमान्य व्यक्तियों/अधिकारियों के निजी दौरों पर होने वाले खर्च का वहन करने के लिए प्राधिकृत नहीं हैं। तथापि, सदस्य से कोई अनुरोध प्राप्त होने पर, विदेश मंत्रालय और संबंधित दूतावास/पोस्ट से सदस्यों द्वारा निजी विदेश दौरों पर संभव और अनुमत सीमा तक आगमन/प्रस्थान संबंधी नयाचार और सहायता मुहैया कराने का अनुरोध किया जाएगा।

14.3 उक्त बातें सदस्यों द्वारा उनकी विशेषज्ञता और किसी क्षेत्र के ज्ञान के कारण सम्मेलनों, सेमिनारों आदि में उनकी व्यक्तिगत हैसियत से विदेशी आतिथ्य सहित या उसके बिना भागीदारी करने के लिए विदेश यात्रा करने पर भी लागू होंगी।

14.4 सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे विदेश में अपने आधिकारिक या निजी दौरे के दौरान मोबाइल सेवाओं, विशेष रूप से सचिवालय द्वारा प्रदान किए गए बीएसएनएल/एमटीएनएल कनेक्शनों का उपयोग करते समय उचित सावधानी बरतें। अत्यधिक अंतरराष्ट्रीय रोमिंग शुल्क से बचने के लिए, सदस्यों को स्थानीय रूप से उपलब्ध सिम कार्ड या उपलब्ध मुफ़्त वाई-फाई सुविधाओं के उपयोग को वरीयता देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा, सदस्यों को गैर-आवश्यक अनुप्रयोगों (ऐप्स) को निष्क्रिय करने, बैकग्राउंड ऐप अनुमतियों की जाँच करने तथा यह सुनिश्चित करने पर भी विचार करना चाहिए कि जब मोबाइल डेटा की स्पष्ट रूप से आवश्यकता न हो, तब वह बंद रहे, ताकि अनाशयित डाटा की खपत न हो। आधिकारिक यात्राओं के दौरान, संबंधित भारतीय मिशन आमतौर पर प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के लिए स्थानीय समन्वय को सुगम बनाने हेतु निर्धारित कॉल/डाटा प्रतिबंधों के साथ स्थानीय सिम कार्ड की व्यवस्था करता है। सदस्यों से अनुरोध है कि वे साथ आए अधिकारियों या मिशन के कर्मचारियों को उपलब्ध सुविधाओं और प्रदान किए गए सिम कार्ड पर लागू डाटा सीमा की उपयोग से पहले पुष्टि कर लें। ऐसी यात्राओं के दौरान सामान्य इंटरनेट उपयोग के लिए, सदस्यों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे मुफ्त वाई-फाई सेवाओं का उपयोग करें, जो प्रायः हवाई अड्डों के लाउंज, होटलों या सम्मेलन/कार्यक्रम स्थलों पर उपलब्ध होती हैं। सदस्य विदेश यात्राओं के दौरान मोबाइल फोन के उपयोग से संबंधित नवीनतम जानकारी के लिए समय-समय पर सचिवालय द्वारा जारी किए जाने वाले संसदीय समाचारों का भी संदर्भ ले सकते हैं।

15. संसद सदस्यों द्वारा विदेशी आतिथ्य स्वीकार किया जाना

15.1 सदस्यों को विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 6 के अधीन निजी विदेश यात्राओं या अपनी व्यक्तिगत हैसियत से विदेश यात्राओं के दौरान कोई विदेशी आतिथ्य स्वीकार करने के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति लेना अपेक्षित होता है।

15.2 सरकार ने दिनांक 14.12.2015 की अधिसूचना (प्रतिलिपि एफसीआरए के वेबपोर्टल पर उपलब्ध) के माध्यम से विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के अधीन सेवाओं को केवल ऑनलाइन पोर्टल www.feraonline.nic.inके माध्यम से ही प्रदान किया जाना अधिदेशित किया है। "विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के अधीन विदेशी आतिथ्य स्वीकार करने के प्रस्तावों पर विचार के लिए विस्तृत दिशानिर्देश गृह मंत्रालय द्वारा उनके कार्यालय ज्ञापन संख्या II/21022/58(97)/2011-एफसीआरए-I, दिनांक 21 नवम्बर, 2022 के माध्यम से जारी किए गए हैं।

15.3 किसी प्रकार के विलंब से बचने के लिए, सदस्यों को यह सलाह दी जाती है कि विदेशी आतिथ्य स्वीकार करने के संबंध में उनके आवेदन गृह मंत्रालय में उस तारीख से कम से कम दो सप्ताह पहले पहुंच जाने चाहिए जिस तारीख से यात्रा प्रस्तावित है। आवश्यक एफसीआरए स्वीकृति के लिए आवेदन करने हेतु, सदस्यों को इस सचिवालय से एक अग्रेषण पत्र की आवश्यकता होगी। अतः सदस्यों से अनुरोध है कि वे संसदीय राजनय अनुभाग (कमरा सं. 534, संसदीय सौध में या तो भौतिक रूप में अथवा ईमेलः rscp@sansad.nic.in के माध्यम से) को निमंत्रण पत्र की प्रति अपने पासपोर्ट/पासपोर्टों की प्रति के साथ एक अनुरोध अग्रिम रूप से प्रस्तुत करें। अग्रेषण पत्र कक्ष संख्या 534, संसदीय सौध से प्राप्त किया जा सकता है या इसे सात कार्य दिवसों के भीतर सदस्य के आधिकारिक ईमेल पर भेज दिया जाएगा।

15.4 आतिथ्य स्वीकार करने से पहले सदस्यों को निमंत्रण भेजने वाले संगठन/संस्थान की प्रमाणिकता की स्वयं जांच कर लेनी चाहिए।

16. विदेश मंत्रालय से राजनैतिक स्वीकृति

16.1 किसी विदेशी स्रोत अर्थात किसी देश की सरकार या किसी विदेशी संस्था से सभी निमंत्रणों को विदेश मंत्रालय के माध्यम से भेजे जाने की अपेक्षा की जाती है। तथापि, यदि ऐसा कोई निमंत्रण सीधे प्राप्त होता है तो सदस्य के लिए उसकी सूचना विदेश मंत्रालय में दिया जाना अपेक्षित है और इस प्रयोजनार्थ उस मंत्रालय की आवश्यक राजनीतिक स्वीकृति भी प्राप्त की जानी चाहिए।

16.2 सदस्यों के लिए राजनयिक पारपत्र का प्रयोग करते समय www.epolclearance.gov.in लिंक का प्रयोग करके विदेश मंत्रालय से सीधे राजनीतिक पूर्व-स्वीकृति के लिए आवेदन करना और यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि विदेश यात्रा पर जाने से पहले अपेक्षित राजनीतिक स्वीकृति ले ली गई है। इसके लिए अनुरोध कम से कम 3 सप्ताह पहले किया जाए।

16.3 विदेश मंत्रालय से समय पर राजनीतिक स्वीकृति की मांग किए जाने से विदेश मंत्रालय निमंत्रण देने वाली विदेशी संस्था के दर्जे, मंच के उचित होने, जनहित आदि पर विचार करते हुए उस सदस्य को सिफारिश कर सकेगा।

16.4 उक्त बात निजी दौरों (पर्यटन, मित्रों/ संबंधियों आदि के यहां जाना आदि) पर भी लागू होगी।

16.5 आधिकारिक दौरों के मामले में, विदेश मंत्रालय से राजनीतिक स्वीकृति सदस्य की ओर से राज्य सभा सचिवालय द्वारा मांगी जाएगी।

16.6 कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि सदस्यों द्वारा उनके निजी दौरे के दौरान किए गए किसी भी कार्यकलाप से ऐसा गैर आशयित संकेत नहीं जाए कि भारतीय संसद की ओर से किसी आधिकारिक दौरे पर हैं।

17. भारतीय संसदीय समूह की सदस्यता

17.1 भारतीय संसदीय समूह एक स्वायत्त निकाय है जिसे 16 अगस्त, 1948 को संविधान सभा (विधायी) द्वारा अपनाये गए एक प्रस्ताव के अनुपालन में वर्ष 1949 में गठित किया गया था। भारतीय संसदीय समूह की सदस्यता संसद (लोक सभा और राज्य सभा) के सभी सदस्यों और संसद के भूतपूर्व सदस्यों के लिए खुली है। राज्य सभा के ऐसे सभी सदस्यों जो अब तक इस समूह के सदस्य नहीं बने हैं, से इस समूह में शामिल होने का अनुरोध किया जाता है।

17.2 इस समूह की आजीवन सदस्यता संसदीय राजनय अनुभाग (कमरा सं. 534,संसदीय सौध, दूरभाष सं. 23034527) तथा संसद भवन में सूचना कार्यालय में उपलब्ध विहित प्रपत्र में 1000/-रुपये का भुगतान करने पर प्राप्त की जा सकती है। अपेक्षित शुल्क के साथ विधिवत रूप से भरा गया प्रपत्र सम्मेलन शाखा, लोक सभा सचिवालय, कमरा सं. 340,संसदीय सौध में जमा कराया जा सकता है।

18. संसद सदस्यों द्वारा गैर-आधिकारिक विदेशी यात्राएं

18.1 संसद सदस्यों द्वारा अपनी गैर-आधिकारिक विदेशी दौरों के संबंध में निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगाः—

(i) यदि किसी सदस्य को किसी विदेशी स्रोत अर्थात् किसी देश की सरकार, विदेशी संगठनों आदि से सीधे कोई निमंत्रण प्राप्त होता है, तो उस निमंत्रण पत्र की एक प्रति, जिसमें यात्रा के उद्देश्य और यात्रा के दौरान स्वीकार की जाने वाली आतिथ्य का पूरा विवरण हो, निम्नलिखित को भेजी जानी चाहिएः

(क) राजनैतिक स्वीकृति के लिए विदेश मंत्रालय; और

(ख) विदेशी यात्राओं के दौरान प्रस्तावित किसी भी विदेशी आतिथ्य को स्वीकार करने के लिए सचिव, गृह मंत्रालय (विदेशी प्रभाग – एफसीआरए), एनडीसीसी-II बिल्डिंग, जय सिंह रोड, जंतर मंतर के पास, नई दिल्ली।

(ii) विदेश मंत्रालय से ई-राजनैतिक स्वीकृति तथा गृह मंत्रालय से एफसीआरए अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, संबंधित सदस्य को माननीय सभापति, राज्यसभा को यात्रा के उद्देश्य तथा प्राप्त किए जाने वाले आतिथ्य के बारे में अवगत कराना होगा।

(iii) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उन यात्राओं के दौरान उनकी किसी भी गतिविधि से यह अनाशयित प्रभाव न पड़े कि सदस्य भारतीय संसद की ओर से आधिकारिक यात्रा पर हैं।

(iv) आतिथ्य स्वीकार करने से पहले सदस्यों को आतिथ्य प्रदान करने वाले संगठन/संस्था की विश्वसनीयता और पृष्ठभूमि के बारे में स्वयं संतुष्ट हो जाना चाहिए।

19. प्रकाशनों की आपूर्ति

19.1 भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से वितरण के लिए प्राप्त प्रकाशन, सदस्यों को प्रकाशन पटल, कमरा संख्या 26-ए, संविधान सदन, नई दिल्ली (दूरभाष संख्याः 23034648)से उपलब्ध कराए जाते हैं।

20. विविध सुविधाएं

20.1 खानपान सुविधाएं

भारत पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी), कॉफी बोर्ड और टी बोर्ड द्वारा सदस्यों और पूर्व सदस्यों के लिए संसद भवन, संविधान सदन, संसदीय सौध और संसद ग्रन्थालय भवन में जलपान और लंच की सुविधाएं उपलब्ध हैं। उनके विवरण निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैः-

क्रम सं.	सुविधा	स्थान	संपर्क विवरण
(i)	आईटीडीसी कैंटीन/ कैफेटेरिया	संसद भवन	संगम I- 23082136 संगम II- 23082139 संसद सदस्य भोजन कक्ष -23082954
(ii)	आईटीडीसी कैंटीन/ कैफेटेरिया	संसद ग्रन्थालय भवन	23035068
(iii)	आईटीडीसी कैंटीन/ कैफेटेरिया	संसदीय सौध	23034188, 23034185

(iv)	इंडिया कॉफ़ी बुफ़े (कॉफी बोर्ड)	संसद भवन	संगम I- 23082955 संगम II- 23082959
(v)	इंडिया कॉफ़ी बुफ़े (कॉफी बोर्ड)	संविधान सदन	23034649
(vi)	टी बोर्ड	संसद भवन	संगम I- 23082955 संगम II- 23082959
(vii)	टी बोर्ड	संविधान सदन	23034651
(viii)	टी बोर्ड	संसद ग्रन्थालय भवन	23035270
(ix)	टी बोर्ड	संसदीय सौध	23034445

20.2 **क्लब और कॉमन हॉल**

नॉर्थ एवेन्यू और साउथ एवेन्यू में सदस्यों के विश्राम और मनोरंजन के लिए कॉमन हाल उपलब्ध कराए गए हैं। रफी मार्ग पर कॉन्स्टीट्यूशन क्लब भी है जिसकी सदस्यता सभी सदस्य वार्षिक रूप से 1,000 रुपये और आजीवन सदस्यता के लिए 5,000 रुपये के विहित अभिदान शुल्क की अदायगी करके ले सकते हैं।

20.3 **बैंक और डाकघर**

20.3.1 **भारतीय स्टेट बैंक**-भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं कमरा संख्या 57, पहली मंजिल, संविधान सदन (दूरभाष सं 23016053/23011364/23034653) और संसदीय सौध के भूतल (दूरभाष सं. 23034477/23034241) पर सभी कार्य दिवसों (द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवारों एवं सभी रविवारों को छोड़कर) पर म.पू. 10.00 बजे से म.प. 4.00 बजे तक (सार्वजनिक काम काज) कार्य करती है।

20.3.2 सदस्यों की सुविधा के लिए संसद सत्रावधि के दौरान संविधान सदन/ संसदीय सौध में स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं की कार्यावधि म.प. 6:00 बजे तक बढ़ा दी जाती है।

20.3.3 **भारतीय डाक**- संसद सदस्यों की सुविधा के लिए संविधान सदन के भूतल पर लिफ्ट सं. 5 के समीप एक डाकघर(दूरभाष 23017346) सोमवार से शुक्रवार तक म.पू. 10.00 बजे से म.प. 4 बजे तक (सार्वजनिक कामकाज) और शनिवार को म.पू. 10.00 बजे से म.प. 01.00 बजे तक पूरे वर्ष कार्य करता है

20.3.4 संसंदीय सौध के बेसमेंट में सोमवार से शुक्रवार तक म.पू. 9.30 से म.प. 4.00 बजे तक (सार्वजनिक कामकाज का समय) एवं शानिवार को म.पू. 9.30 से म.प. 01.00 बजे तक एक उप-डाकघर (दूरभाष 23014121) भी पूरे वर्ष कार्य करता है।

20.4 **राज्य सभा के सदस्यों के लिए परिवहन सेवा**

20.4.1. सदस्यों को उनके आवास और संसद भवन/संसदीय सौध के बीच परिवहन सेवा प्रदान की जाती है। आवास समिति, राज्य सभा के निर्णयानुसार, संसद सदस्य विशेष फेरी वाहन सेवा का उपयोग करते हुए

सदस्यों के आधिकारिक आवास और संसद भवन परिसर के बीच आने-जाने के लिए प्रति यात्रा ₹10/- का जो शुल्क लिया जाता था, उसे **समाप्त** कर दिया गया है।

20.4.2. सदस्यों को उपरोक्त परिवहन सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए केबिन संख्या 008, (बेसमेंट), संसदीय सौध में एक परिवहन डेस्क कार्यरत है। सदस्यों को उनके उपयोग के लिए परिवहन उपलब्ध कराने हेतु परिवहन डेस्क पर दो दूरभाष कनेक्शन (नंबर 23035139 और 23035183) उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि सदस्य आवश्यकतानुसार वाहन की व्यवस्था के लिए संपर्क कर सकें।

20.4.3. यह परिवहन सुविधा केवल सदस्यों के उपयोग के लिए है, उनके वैयक्तिक सहायक के उपयोग के लिए नहीं है। हालांकि, किसी सदस्य का वैयक्तिक सहायक तभी इस सुविधा का उपयोग कर सकता है जब वह उस सदस्य के साथ हो जिसके साथ वह नियुक्त है।

20.4.4. मोटर यान अधिनियम की धारा 138(3) सीएमवीआर/177 के अधीन वाहन की आगे तथा पीछे की सीट पर बैठने वाले सभी व्यक्तियों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है। इसलिए वाहन में यात्रा करते समय सदस्यों को सीट बेल्ट अवश्य पहननी होगी।

20.4.5. सदस्यों से अनुरोध है कि वे वाहन/वाहनों को लंबे समय तक अपने पास न रखें, ताकि उन अन्य सदस्यों को असुविधा न हो जो वाहन में बैठे हैं या वाहन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सदस्यों से यह भी अनुरोध है कि जो सदस्य एक ही गंतव्य/दिशा में जा रहे हों, वे वाहन साझा करें तथा परिवहन डेस्क के कर्मचारियों के साथ सहयोग करें।

20.5 आयकर विवरणी दाखिल करना

सत्रावधि के दौरान, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा संसदीय सौध की कक्ष संख्या 019 (दूरभाष सं. 4062) में एक आयकर प्रकोष्ठ स्थापित किया जाता है ताकि सदस्यों को उनके आयकर विवरणियों को दाखिल करने तथा अन्य संबंधित मामलों में सहायता प्रदान किया जा सके।

20.6 नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (एनडीएमसी)का संपर्क कार्यालय

सदस्यों की सुविधा के लिए उनके आवासों में जल और विद्युत के कनेक्शन देने/कनेक्शन काटने और उनके बिल तैयार करने तथा तत्संबंधी मामलों में उनकी सहायता करने के लिए कमरा सं. 314, संसदीय सौध, नई दिल्ली (दूरभाष सं.23034314, 23034316) में पूरे वर्ष नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् का सम्पर्क कार्यालय कार्य करता है।

20.7 डी.ओ. लेखन सामग्री की आपूर्ति

सदस्यों को मानकीकृत डी. ओ. लेखन सामग्री की बिक्री 'बिना लाभ-बिना हानि' के आधार पर विक्रय पटल पर, प्रकाशन पटल के निकट कमरा सं. 26-ए, संविधान सदन, नई दिल्ली (दूरभाष सं. 23034648) में की जाती है।

20.8 आरएफआईडी कार पार्किंग लेबल

20.8.1 वर्तमान सदस्यों के लिए:

संसद भवन परिसर में सदस्यों के वाहनों का निर्बाध प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए, सीपीआईसी द्वारा स्वीकृत दिशा-निर्देशों के अनुसार दो आरएफआईडी कार पार्किंग लेबल (एक 'MP' लेबल और एक 'P' लेबल), जिनकी वैधता सदस्यता की अवधि समाप्त होने की तिथि तक होती है, जारी किए जाते हैं। ये लेबल

निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त होने पर जारी किए जाते हैं, जो सीपीआईसी और सूचना कार्यालय में उपलब्ध होता है। यदि किसी सदस्य को मंत्री नियुक्त किया जाता है, तो भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय/विभाग से प्राप्त अनुरोध के आधार पर मंत्री के आधिकारिक वाहन के लिए एक अतिरिक्त 'MP' लेबल जारी किया जाता है।

20.8.2 **पूर्व सदस्यों के लिए**:

पूर्व सदस्यों को एक आरएफआईडी पार्किंग लेबल जारी किया जाता है जिसकी वैधता कैलेंडर वर्ष के दिसंबर माह के अंतिम दिन तक होती है, जिसे पश्चातवर्ती कैलेंडर वर्ष के लिए निर्धारित प्रपत्र में पूर्व सदस्य से अनुरोध प्राप्त होने पर नवीनीकृत किया जा सकता है।

आरएफआईडी कार पार्किंग लेबल के प्रपत्र राज्यसभा की वेबसाइट (sansad.in/rs/hi) से भी निम्न लिंक के अंतर्गत डाउनलोड किए जा सकते हैं:

'अधिक' → 'डाउनलोड' → 'नए सदस्यों के लिए प्रपत्र' → 'केंद्रीकृत पास निर्गम प्रकोष्ठ-संसदीय सुरक्षा सेवा' → माननीय सदस्यों और पूर्व सदस्यों के लिए इंटिग्रेटेड आरएफआईडी कार पार्किंग लेबल'।

यदि जिस वाहन के लिए आरएफआईडी कार पार्किंग लेबल का अनुरोध किया जा रहा है वह सदस्य/पूर्व सदस्य के नाम पर पंजीकृत नहीं है, तो निर्धारित प्रपत्र में एक वचनबंध भी अनुरोध प्रपत्र के साथ संलग्न किया जाना अपेक्षित है। यह वचनबंध प्रपत्र भी राज्यसभा की वेबसाइट (sansad.in/rs/hin) से निम्न लिंक के अंतर्गत डाउनलोड किया जा सकता है:

'अधिक' → 'डाउनलोड' → 'नए सदस्यों के लिए प्रपत्र' → 'कार पार्क लेबल के लिए आवेदन (वर्तमान एमपी के लिए)'.

20.8.3 **आरएफआईडी कार पार्किंग लेबल के खोने/क्षतिग्रस्त होने या वाहन परिवर्तन की स्थिति में**

आरएफआईडी कार पार्किंग लेबल के खो जाने की सूचना तुरंत सीपीआईसी, राज्यसभा तथा निकटतम पुलिस स्टेशन को दी जानी चाहिए। आरएफआईडी कार पार्किंग लेबल पुनः जारी कराने के लिए सदस्य/पूर्व सदस्य को सीपीआईसी में आवेदन करना होगा और उसके साथ पुलिस अधिकारियों द्वारा जारी खोई हुई वस्तु की रिपोर्ट की प्रति संलग्न करनी होगी।

यदि आरएफआईडी कार पार्किंग लेबल क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो सदस्य/पूर्व सदस्य क्षतिग्रस्त लेबल वापस जमा करके उसके स्थान पर नया लेबल जारी करने का अनुरोध कर सकते हैं।

वाहन परिवर्तन की स्थिति में: सदस्य/पूर्व सदस्य पहले जारी किए गए लेबल को जमा कराकर तथा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन के साथ नए वाहन के आवश्यक दस्तावेज संलग्न करके नए वाहन के लिए आरएफआईडी कार पार्किंग लेबल जारी करने का अनुरोध कर सकते हैं।

20.9 **सूचना प्रौद्योगिकी (आई टी) सुविधाएं**

20.9.1 **राज्य सभा की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रबंधन समिति** का अधिदेश राज्य सभा के कामकाज में सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के संबंध में मानदंड निर्धारित करने; सदस्यों को समय-समय पर उपलब्ध कराए जाने वाले कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के प्रावधान हेतु मापदंड निर्धारित करने; राज्य सभा में सूचना-प्रसार के इलेक्ट्रॉनिक साधनों के प्रयोग में वृद्धि सुनिश्चित करने; और सदस्यों को सूचना-प्रौद्योगिकी

के उपकरणों के प्रयोग में दक्षता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रशिक्षण देने सहित समुचित उपाय करने के लिए कार्य करती है।

21.9.2 सदस्यों को अपने कार्यों/कर्तव्यों का प्रभावी रूप से निर्वहन करने में सहायता पहुंचाने हेतु "कम्प्यूटर उपस्कर के लिए राज्य सभा के सदस्यों की वित्तीय हकदारी योजना" के जरिए, कम्प्यूटर उपस्कर की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के तहत, सदस्य कम्प्यूटर उपस्कर की निम्नलिखित मदो में से कोई भी अथवा सभी खरीद सकते हैंः-

1) डेस्कटॉप कम्प्यूटर
2) लैपटॉप कम्प्यूटर
3) पेन ड्राइव
4) प्रिंटर(डेस्कजेट/लेज़रजेट/मल्टी-फंक्शन/पोर्टेबल)
5) स्कैनर
6) यूपीएस (केवल डेस्कटॉप के साथ ही)
7) हैंडहेल्ड कम्युनिकेटर/कम्प्यूटर/स्मार्ट फोन
8) डेटा इंटरनेट कार्ड
9) एम एस ऑफिस सुइट
10) लैंग्वेज सॉफ्टवेयर्स और स्पीच रेकग्निशन सॉफ्टवेयर्स
11) ई-रीडर
12) कम्प्यूटर मॉनिटर
13) एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव
14) स्मार्ट प्रोजेक्टर
15) पोर्टेबल प्रोजेक्टर स्क्रीन
16) स्मार्ट टेलीविजन
17) स्मार्ट डिस्प्ले
18) कीबोर्ड सहित टैबलेट कम्पयूटर
19) स्मार्ट स्पीकर/वियरेबल्स
20) सूचना प्रौद्योगिकी उपस्कर के लिए सहायक उपकरण /आवश्यक एक्सेसरीज
    (i) एन्टी-वायरस सॉफटवेयर्स
    (ii) स्पीकर्स
    (iii) हेडफोन
    (iv) माइक्रोफोंन
    (v) वेबकैम
    (vi) ब्लूटूथ हेडसेट/ एप्पल एयरपोड्स
    (vii) स्टाइलस(कम्पैटबल)
    (viii) एक्सटर्नल कीबोर्ड, स्मार्ट कीबोर्ड

(ix) लैपटॉप बैग

(x) कूलिंग पैड

(xi) फोन/ई-रीडर कवर

(xii) टेम्पर्ड ग्लास/स्क्रीन गार्ड

(xiii) वारंटी एक्सटेंशन पैक्स

21) समिति के अध्यक्ष के अनुमोदन से कोई अन्य उपकरण।

20.9.3 इस योजना के अधीन कम्प्यूटर उपस्कर और सॉफ्टवेयर खरीद हेतु किसी सदस्य की मौजूदा वित्तीय हकदारी निम्नानुसार है:-

(क) 2,50,000/- **रुपये**, यदि राज्य सभा के लिए सदस्य का निर्वाचन/नाम-निर्देशन तीन वर्ष से अधिक के कार्यकाल के लिए हुआ हो।

(ख) 2,00,000/- **रुपये**, यदि वह आकस्मिक रिक्ति होने पर उप-चुनाव में तीन वर्ष या उसमें कम के कार्यकाल के लिए निर्वाचित/नाम-निर्देशित् हुआ हो।

(ग) सदस्य के कार्यकाल के तीन वर्ष पूरा होने पर उन्हें अतिरिक्त 1,50,000/- **रुपए** की राशि उपलब्ध कराई जाएगी बशर्तें उनके कार्यकाल की शेष अवधि तीन महीने से कम न हो।

20.9.4 सदस्य इस योजना का लाभ किसी विक्रेता से कम्प्यूटर उपस्कर की खरीद करके उठा सकता है और प्रतिपूर्ति के लिए प्रणाली प्रभाग)(कमरा सं. 121 और 121-ए, तृतीय तल,संविधान सदन) को भुगतान का प्रमाण भेज प्रणाली प्रभाग द्वारा प्रमाणित किए जाने पर, संसद सदस्य वेतन और भत्ता शाखा सदस्य को प्रतिपूर्ति करेगी।

20.9.5 वित्तीय हकदारी योजना के अन्तर्गत कंप्यूटर उपस्कर की खरीद के संबंध में सदस्यों द्वारा निम्नलिखित शर्तों को भी ध्यान में रखा जाए:

(क) जैसाकि उपर्युक्त पैरा 21.9.2. में बताया गया है, सदस्य स्वीकार्य कंप्यूटर उपस्कर खरीदने के लिए पूर्णत: स्वतंत्र हैं और वास्तविक उपस्कर विनिर्माताओं या उनके प्राधिकृत विक्रेताओं से प्रख्यात ब्राण्ड के किसी भी मॉडल की खरीददारी कर सकते है। सदस्य अपनी पसंद के विक्रेता से भी उपकरण की खरीद कर सकते है; तथापि, उस स्थिति में, सदस्य को उत्पादों की वास्तविकता, वारन्टी कवर तथा विक्रय-पश्चात सेवा-सहायता की गुणवत्ता के प्रति स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिए।

(ख) राज्य सभा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रबंधन समिति के निर्णय के अनुसार, सदस्यों को राज्य सभा में अपनी सदस्यता के अंतिम तीन महीनों के दौरान कंप्यूटर उपस्कर खरीदने और प्रतिपूर्ति हेतु उसका दावा प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी। तदनुसार, सदस्यों से उनके कार्यकाल के अंतिम तीन महीनों के दौरान कंप्यूटर उपस्कर की खरीद के लिए प्राप्त बिल को स्वीकार नहीं किया जाएगा और यदि ऐसा बिल प्राप्त होता है, तो उसे सदस्य को वापस लौटा दिया जाएगा।

20.9.6 सदस्यों द्वारा अपनी वित्तीय हकदारी का प्रयोग करके खरीदे गए कंप्यूटर उपस्कर से जुड़ी वारन्टी सेवाओं, अनुरक्षण तथा बीमा के लिए व्यवस्था स्वयं करनी होगी। इस योजना के अधीन किसी सदस्य द्वारा खरीदा गया कंप्यूटर उपस्कर उसके सदस्य नहीं रहने के बाद भी उसके पास ही रहेगा।

20.9.7 सदस्य इस योजना तथा इसे शासित करने वाले नियमों के बारे में और अधिक जानकारी सूचना प्रणाली प्रभाग (कमरा सं. 121 एवं 121-ए, तृतीय तल, संविधान सदन) से संपर्क करके अथवा राज्य सभा की वेबसाइट पर *'समितियां → स्थायी समिति → राज्य सभा की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रबंधन समिति → नियम'* लिंक पर प्राप्त कर सकते हैं।

20.9.8 **राज्य सभा कक्ष में मल्टीमीडिया उपकरण**: डिजिटल/पेपरलेस संसद के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयासों के अंतर्गत, राज्य सभा कक्ष में सभी सदस्यों की सीटों पर मल्टीमीडिया उपकरण संस्थापित किए गए हैं। ये उपकरण सदस्यों को दैनिक कार्य और अन्य संसदीय दस्तावेज, संदर्भ/नियम पुस्तकों और सामग्री, सदस्यों से संबंधित जानकारी, सभा की कार्यवाही का बहुभाषी युगपत् भाषांतरण उपलब्ध करवाते हैं और बोलने के लिए अनुरोध करने और चल रही चर्चाओं में भाग लेने तथा किसी मुद्दे पर सभापीठ द्वारा मत-विभाजन के लिए कहे जाने पर अपना मत भी दर्ज करने में सक्षम बनाता है। प्रत्येक उपकरण में उस सदस्य की विस्तृत जानकारी प्रदर्शित होती है, जिसके लिए वह नियत किया गया है। सदस्य उपकरण की सेटिंग्स में जाकर उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस को अंग्रेज़ी या हिंदी में से अपनी पसंद की भाषा में चुन सकते हैं। मल्टीमीडिया उपकरणों के उपयोग के संबंध में सदस्यों के लिए उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका और वीडियो ट्यूटोरियल संदर्भ हेतु उनके 'संसद सदस्य पोर्टल अकाउंट' में उपलब्ध हैं। इन्हें होम पेज के **क्विक लिंक्स** टैब के अंतर्गत देखा जा सकता है। यह मार्गदर्शिका मल्टीमीडिया उपकरण में भी **डॉक्यूमेंट्स** टैब के अंतर्गत उपलब्ध है।

20.9.9 **ई-मेल सुविधा**: सदस्यों को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.) द्वारा ई-मेल सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाती है। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए सदस्य द्वारा सुविधा हेतु अपेक्षित यूजरनेम का उल्लेख करते हुए एक प्रपत्र भरना अपेक्षित है। यह प्रपत्र प्रणाली प्रभाग (कमरा सं. 121 तथा 121-ए, तृतीय तल, संविधान सदन) में उपलब्ध है अथवा इसे राज्य सभा की वेबसाइट (http://rajyasabhahindi.nic.in) से 'अधिक'→'डाउनलोड' →आवेदन प्रपत्र →निकनेट आवेदन पत्र' लिंक के अंतर्गत डाउनलोड किया जा सकता है।

20.9.10 **ब्रॉडबैंड सुविधा**: सदस्य प्रत्येक ब्रॉडबैंड कनैक्शन हेतु 1,50,000 निःशुल्क टेलीफोन कॉल्स में से अपनी 10,000 कॉल्स का परित्याग कर एम.टी.एन.एल./बी.एस.एन.एल. की ब्रॉडबैंड सुविधा का लाभ भी ले सकते हैं।

20.9.11 **संसद सदस्य पोर्टल**: सदस्य पोर्टल, जिसे https://mprs.nic.in पर एक्सेस किया जा सकता है, सूचना सेवाओं के वितरण और अंतर-संचार प्रणाली हेतु

एक सुरक्षित वेब एप्लीकेशन है, जिसे मोबाइल एसएमएस और एनआईसी की ई-मेल मैसेजिंग सर्विस के साथ जोड़ा गया है। यह एक द्विभाषी पोर्टल है और सदस्यगण इस पोर्टल का प्रयोग करने के लिए अंग्रेजी या हिन्दी भाषा का चयन कर सकते हैं।इसके साथ ही, सदस्यों के लिए सुरक्षित एक्सेस हेतु इस पोर्टल पर **लॉग-इन** के लिए कैप्चा सहित 'टू-फैक्टर' अधिप्रमाणन (यूजर नेम/पासवर्ड और मोबाईल ओटीपी) जैसे सिक्योरिटी फीचर्स हैं तथा सदस्य के पंजीकृत मोबाइल नं. पर ओटीपी भेजा जाता है।

20.9.12 **ऑनलाइन संदर्भ सेवा के लिए सुविधा**: राज्य सभा के सदस्यों के लिए ऑनलाइन रिक्विजिशन और संसद ग्रंथालय संदर्भ सुलभता की सुविधा प्रदान की गई है और इसके लिए लिंक राज्य सभा के सदस्य लॉग इन पोर्टल (https://mprs.nic.in) तथा sansad.in/rs (बायें नेविगेशन पैनल में मौजूद 'अनुरोध' लिंक के अंतर्गत) के तहत प्रदान किया गया है। सदस्य एनआईसी द्वारा पहले ही प्रदान किए गए अपने 'क्रिडेंशिएल'के माध्यम से पोर्टल में लॉग-इन करके इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

20.9.13 **आधिकारिक ई-मेल पर जियो फेंसिंग सुविधा (देश-वार सुलभता नियंत्रण)**: अन्य देशों में एनआईसी ई-मेल सुलभता के लिए कंट्री पॉलिसी समर्थ बनाने की सुविधा उपलब्ध है और राज्य सभा सदस्य विदेशों में यात्रा के दौरान अपनी ई-मेल तक पहुंच का लाभ उठा सकते हैं।

20.9.14 **संसद भवन परिसर में सुरक्षित हाई-स्पीड वाई-फाई सुविधा**: राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) द्वारा राज्य सभा की लॉबी और चैम्बर सहित संसद भवन परिसर में सुरक्षित वाई-फाई सुविधा स्थापित की गई है। सदस्य संसद भवन में वाई-फाई सुविधा का लाभ उठाने के लिए अधिकतम तीन पोर्टेबल डिवाइस का पंजीकरण कर सकते हैं। इस प्रयोजनार्थ एक प्रपत्र भरकर एनआईसी कंप्यूटर सेंटर, प्रथम तल, 64जी या कमरा सं. 110, तृतीय तल, संविधान सदन (पुराना संसद भवन) अथवा प्रणाली प्रभाग, कमरा सं. 121 तथा 121-ए, तृतीय तल, संविधान सदन में जमा किया जाना अपेक्षित है। अपेक्षित प्रपत्र सूचना कार्यालय, राज्य सभा में भौतिक रूप में भी उपलब्ध है। यह प्रपत्र राज्य सभा कीवेबसाइट(*https://sansad.in/rs/*) पर ***'डाउनलोड'→ एप्लिकेशन फॉर्म्स→सिस्टम्स डिविजन→वाई-फाई एक्सेस रिक्वेस्ट फॉर्म'*** लिंक पर भी उपलब्ध है।

सदस्य यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग करके वाई-फाई सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं, जिन्हें उनके आधिकारिक "संसद" ई-मेल-अकाउंट/पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर भेजा जाएगा।

प्रपत्र भरने के लिए मोबाइल फोन, आई-पैड, लैपटॉप आदि उपकरण का मीडिया एक्सेस कंट्रोल (मैक) एड्रेस जरूरी होगा और किसी उपकरण का मैक एड्रेस जानने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगाः-

एंड्रायड फोन में वाई-फाई मैक एड्रेस का पता लगाने के लिएः

1. होम स्क्रीन पर, **मेन्यू** बटन पर टैप करें और **सेटिंग्स** पर जाएं।
2. **अबाउट फोन** पर टैप करें।
3. **स्टेटस** पर टैप करें।
4. अपना **वाई फाई मैक एड्रेस** देखने के लिए स्क्रीन पर नीचे जाएं।

या,

1. होम स्क्रीन पर, **मेन्यू** बटन पर टैप करें और **सेटिंग्स** पर जाएं।
2. **अबाउट फोन** पर टैप करें।
3. **हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन** पर टैप करें।
4. अपना **वाई फाई मैक एड्रेस** देखने के लिए स्क्रीन पर नीचे की ओर जाएं।

या,

1. होम स्क्रीन पर, **मेन्यू** बटन दबाएं और **सेटिंग्स** का चयन करें।
2. अब **वायरलेस एंड नेटवर्क** का चयन करें।
3. **वाई फाई सेटिंग्स** का चयन करें। मैक एड्रेस आपको एडवांस्ड सेक्शन के नीचे मिलेगा।

विंडोज मोबाइल उपकरण में वाई फाई मैक एड्रेस का पता लगाना।

अपने विंडोज़ मोबाइल उपकरण के मैक एड्रेस का पता लगाने के लिए इन चरणों का पालन करें:

1. **स्टार्ट** बटन को ऑन करें, एप लिस्ट के बाईं ओर क्लिक करें।
2. **सेटिंग्स** पर टैप करें, फिर **अबाउट** और फिर **मोर इन्फो** पर टैप करें।
3. **मैक** एड्रेस नोट करें।

अपने आई पैड, आई फोन या आई पॉड टच में मैक एड्रेस का पता लगाने के लिए इन चरणों का पालन करें:

1. **सेटिंग्स** पर टैप करें।
2. **जनरल** का चयन करें।
3. फिर **अबाउट** का चयन करें।
4. **वाई फाई एड्रेस** के रूप में मैक एड्रेस सूचीबद्ध किया गया है।

लैपटॉप कम्प्यूटरों के माध्यम से वाई फाई का उपयोग करना:

लैप टॉप (विंडोज 7, विस्टा, विंडोज 8.1 तथा विंडोज 10) में वाई-फाई के मैक एड्रेस का पता लगाना।

विकल्प 1:

1. अपने स्क्रीन पर नीचे बाईं ओर बने स्टार्ट बटन पर क्लिक करें।
2. सर्च बॉक्स में **ncpa.cpl** टाइप कर एन्टर दबाएं।
3. अपने वाई-फाई कंट्रोलर पर राइट-क्लिक करें और स्टेटस का चयन करें।
4. डिटेल्स पर क्लिक करें और फिजिकल एड्रेस ही आपका मैक एड्रेस है।

विकल्प 2:

1. स्क्रीन पर नीचे बाएं कोने में विंडोज लोगो पर क्लिक करें।
2. सर्च बॉक्स में **cmd** टाइप करें और एन्टर दबाएं।
3. कमांड प्रॉम्प्ट में, **getmac** (बिना स्पेस दिए) टाइप करें और एन्टर दबाएं।
4. वाई फाई कंट्रोलर का लेबल्ड फिजिकल एड्रेस ही मैक एड्रेस है।

विकल्प 3:

1. स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करें, फिर रन आइटम का चयन करें।
2. टेक्स्ट फील्ड में **cmd** टाइप करें।
3. स्क्रीन पर एक टर्मिनल विंडो दिखाई देगी। **ipconfig/all** टाइप करें और वापस आएं।
4. आपके कम्प्यूटर पर हर एडेप्टर के लिए सूचना ब्लॉक नजर आएगा। वायरलेस के विवरण फील्ड में देखें। उस ब्लॉक का फिजिकल एड्रेस ही आपका वायरलेस मैक एड्रेस है।

मैक ओएस एक्स में अपने मैक एड्रेस (वाई-फाई कंट्रोलर) का पता लगाने के लिए

विकल्प 1:

1. अपने स्क्रीन पर ऊपर बाईं ओर दिए गए एपल मेन्यू में से सिस्टम प्रेफरेंसेज का चयन करें।
2. सिस्टम प्रेफरेंसेज मेन्यू में से नेटवर्क पर क्लिक करें।
3. बाईं ओर दी गई इंटरफेस सूची में से वाई-फाई का चयन करें और एडवांस्ड बटन पर क्लिक करें।
4. हार्डवेयर टैब का चयन करें जिसमें आपके वायरलेस कार्ड का **मैक** एड्रेस दिखाई देगा।

विकल्प 2:

1. एपल मेन्यू पर क्लिक करें और लोकेशन मेन्यू का चयन करें ।
2. नेटवर्क प्रिफरेंसेज पर क्लिक करें।
3. शो मेन्यू पर क्लिक करें और 'एयरपोर्ट आइटम' का चयन करें।
4. 'एयरपोर्ट आईडी' ही आपका वायरलेस **मैक** एड्रेस है।

लिनक्स ओएस वाले लैपटॉप पर अपना मैक एड्रेस (वाई फाई कंट्रोलर) का पता लगाने के लिए

1. टर्मिनल विंडो में **ifconfig** टाइप करें और वापस आएं।
2. आपको इंटरफेस सूची दिखाई देगी। आपके वायरलेस इंटरफेस का नाम संभवतः wlan0 या wifi0 दिया गया होगा। वायरलेस **मैक** एड्रेस HWaddr नामक फील्ड में होगा।
3. यदि आपने iwconfig इंस्टाल किया है तो आप इसका प्रयोग करके भी वायरलेस **मैक** एड्रेस का पता लगा सकते है।

राज्य सभा चैम्बर में वाई-फाई (सीमित) सुविधा:

सभी सरकारी वेबसाइटों और संसद की दोनों सभाओं की वेबसाइटों तक सुलभ पहुंच प्रदान करने के लिए, राज्य सभा चेम्बर के भीतर वाई-फाई सुविधा प्रदान की गई है। माननीय सदस्य अब अपने मोबाइल उपकरण (फोन/ई-रीडर/लैपटॉप आदि) का प्रयोग करते हुए इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। **चेम्बर के भीतर सदस्य केवल सरकारी वेबसाइट ही देख सकते हैं।** तथापि बाहर आ जाने पर वे वाई-फाई को निष्क्रिय/सक्रिय कर सकते हैं ताकि वे बिना किसी बंधन के इंटरनेट का पूरा इस्तेमाल आरंभ कर सकें।

किसी कठिनाई/स्पष्टीकरण की स्थिति में, सदस्य कम्प्यूटर सेंटर, एनआईसी, कमरा सं. 110, **संविधान सदन**1 **से दूरभाष सं.** 23034399/23034067/23018006 **अथवा ई-मेल***: nic64g @sansad.nic.in/*sanjay@nic.in (**मो.**) 981499498 **पर संपर्क कर सकते हैं।**

20.9.15 **संसद सदस्यों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी सहायता केन्द्र (हेल्पडेस्क):** संसद सदस्यों के लिए संसद सत्र के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित समस्याओं के संबंध में प्रश्नों और शंकाओं का समाधान करने के लिए राज्य सभा चैम्बर के पास मेम्बर्स लाउंज एरिया में एक सूचना प्रौद्योगिकी सहायता केन्द्र स्थापित किया गया है। सदस्यों के प्रश्नों का तत्काल समाधान करने के लिए सहायता केन्द्र पर एनआईसी के अधिकारी उपलब्ध रहेंगे।

20.9.16 **ई-नोटिस सुविधा:** राज्य सभा के सदस्यों के लिए सुरक्षित वेब पोर्टल https://rsnotices.nic.in https://mprs.nic.in (https://mprs.nic.in अथवा डिजिटल संसद साइट sansad.in/rs पर लॉगिन के द्वारा नये संसद सदस्य पोर्टल से भी सुलभ) के माध्यम से ऑनलाइन सूचना प्रस्तुत करने की सुविधा उपलब्ध है। इस वेब आधारित सूचना का उपयोग करते हुए सदस्यगण नियमों के अधीन राज्य सभा में विभिन्न मुद्दे उठाने के लिए प्रश्न, शून्य काल प्रस्ताव, विशेष उल्लेख, ध्यानाकर्षण और अल्पावधि चर्चा इत्यादि जैसी विभिन्न युक्तियों के संबंध में ऑनलाइन सूचना प्रस्तुत कर सकते हैं।

20.9.17 **प्रशिक्षण** : सदस्यों और उनके निजी स्टाफ को कम्प्यूटर प्रचालनों में प्रशिक्षित करने तथा उन्हें राज्य सभा की वेबसाइट एवं सूचना-प्रौद्योगिकी संबंधी विभिन्न एप्लीकेशन्स की अद्यतन जानकारी देने के लिए सचिवालय द्वारा एन.आई.सी. के सहयोग से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

20.9.18 **वेबसाइटें** : राज्य सभा की अंग्रेजी और हिन्दी वेबसाइटें (sansad.in/rs) और अनन्य रूप से राज्य सभा के लिए हैं तथा इन तक भारतीय संसद की वेबसाइट (sansad.in)के माध्यम से भी पहुँचा जा सकता है। वर्तमान में, राज्य सभा की वेबसाइटों पर प्रश्नों, विधेयकों, आश्वासनों, वाद-विवादों, समिति संबंधी मामलों आदि सहित सभा एवं इसकी समितियों के कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं से संबंधित जानकारी उपलब्ध है। इन पर सर्च सुविधा के साथ सदस्यों के जीवन-वृत्त भी दर्शाए गए हैं और संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से संबंधित जानकारी भी इन साइटों से प्राप्त की जा सकती है। इसमें से अधिकांश जानकारी ऑनलाइन डेटाबेस पर आधारित है। इस पर उपलब्ध जानकारी, विशेषतया कार्यावलि, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र, संसदीय समाचार-भाग-1 और भाग-2 आदि से संबंधित जानकारी को प्रतिदिन अद्यतन किया जाता है ताकि सदस्य संसदीय सूचना पहले से ही प्राप्त कर सकें। इसके अलावा, राज्य सभा 'राज्य सभा वाद-विवाद वेबसाइट' (**http://rsdebate.nic.in**) का भी अनुरक्षण करता है जिसमें राज्य सभा के डिजिटलाइज्ड वाद-विवाद सर्च की सुविधा सहित उपलब्ध है। इस वाद-विवाद पोर्टल पर 13 मई, 1952 को आयोजित राज्य सभा की प्रथम बैठक से राज्य सभा के आधिकारिक वाद-विवाद के सभी मुद्रित खंडों को स्कैन करके उन्हें इलेक्ट्रानिक प्रारूप में उपलब्ध कराया गया है। वाद-विवाद के डिजिटल संग्रह में वाद-विवाद टेक्स्ट (पीडीएफ) फार्मेट और इमेज (पीडीएफ) फार्मेट में उपलब्ध कराया गया है ताकि वाद-विवाद के 'फ्री टेक्स्ट सर्च'की सुविधा प्रदान करने के साथ ही मुद्रित वाद-विवाद के मूल फार्मेट को सुरक्षित रखा जा सके। वाद-विवाद में भाग-I (संसदीय प्रश्न और उत्तर) तथा भाग II (प्रश्न और उत्तर से इतर कार्यवाहियां) शामिल हैं।

21.9.19 **कार्यवाही का सीधा प्रसारण/वेब प्रसारण**: सत्रावधि के दौरान, सदन की कार्यवाही का सीधा वेब प्रसारण किया जाता है जिसे राज्य की वेबसाइट (sansad.in/rs)पर देखा जा सकता है। साथ ही, संसद के सत्रों के दौरान संसद टेलीविजन भी राज्य सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण करता है।

21.9.20 **सदस्य पोर्टल और पेन ड्राइव पर सदस्यों के व्यक्तिगत भाषणों की वीडियो क्लिप की उपलब्धता**: सदस्यों द्वारा राज्य सभा में दिए गए व्यक्तिगत भाषणों की वीडियो क्लिप उनके सदस्य पोर्टल अकाउंट के माध्यम से डाउनलोड करने हेतु उन्हें उपलब्ध करायी जा रही हैं। चूंकि लोक सभा सचिवालय का श्रव्य-दृश्य एवं टेलीप्रसारण एकक दोनों सभाओं की कार्यवाही की वीडियो रिकार्डिंग अभिलेखीय प्रयोजनों के लिए परिरक्षित करके रखता है इसलिए जो माननीय सदस्य सभा की कार्यवाही में अपनी प्रतिभागिता के वीडियो रिकार्डिंग प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी उन्हें श्रव्य-दृश्य एवं टेलीप्रसारण एकक से अनुपूरक आधार पर पेन ड्राइव में प्राप्त कर सकते हैं। सदस्यगण अपनी प्रतिभागिता की तारीख (तारीखों), समय और विषय (विषयों) को इंगित करते हुए अपना अनुरोध ए.वी.एंड टी यूनिट, कमरा सं-जी-140, संसद ग्रंथालय भवन, दूरभाष सं.- 23034505, 23035347, ई-मेलः avunit-lss@sansad.nic.in पर भेज सकते हैं।